



जिला आपदा प्रबंधन योजना—समस्तीपुर

(District Disaster Management Plan- Samastipur)

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्तीपुर



बिहार सरकार

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्तीपुर सन्देश



जिला आपदा प्रबंधन योजना, समस्तीपुर (District Disaster Management Plan) को सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समस्तीपुर जिला को आपदा रोधी (Disaster Resilient) बनाना है। यह योजना निश्चित रूप से जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन तथा उसके प्रभावशाली क्रियान्वयन में मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना (District Disaster Management Plan) में आपदा पूर्व तैयारी (Preparedness), रोकथाम (Prevention), शमन (Mitigation), प्रत्युत्तर (Response), पुनर्वास (Rehabilitation) एवं पुनरुत्थान (Early Recovery) के गतिविधियों को समावेशित किया गया है।

समस्तीपुर जिला बहु आपदा प्रभावित जिला है। जिला में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं का प्रभाव निरन्तर बना रहता है। इस योजना अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के उत्पन्न होने की स्थिति में बचाव के सुव्यवस्थित उपायों का उल्लेख किया गया है। योजना में आपदा पूर्व रोकथाम एवं शमन के उपायों को आपदाओं के पूर्व के अनुभवों के आधार पर संज्ञान में लिया गया है। इस योजना में जो भी विवरण व तथ्य दर्ज किए गए हैं, उन सभी का संग्रह विभिन्न स्रोतों से किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना विकसित करते हुए यह ध्यान रखा गया है, कि जिला प्रशासन को इसके माध्यम से आपदाओं की चुनौतियों का सामना करने में आसानी हो और जिला प्रशासन त्वरित गति से प्रत्युत्तर कार्रवाई क्रियान्वित करते हुए आपदा प्रभावित लोगों के जान—माल की रक्षा कर सके।

इस योजना में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सेन्डर्ड फ्रेमवर्क—2015—2030, बिहार डीआरआर रोड मैप 2015—2030 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009, सतत विकास लक्ष्य 2015—2030 आदि के प्रमुख सुझावों का निगमन किया गया है। इसके प्रकाशन हेतु जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी, जिला स्तरीय पुलिस प्रशासन, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अन्य हितभागियों द्वारा किया गया प्रयास काफी सराहनीय रहा है।

(योगेन्द्र सिंह, 'भाप०से०')

जिला पदाधिकारी

—सह—

अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
समस्तीपुर।

सन्देश



जिला आपदा प्रबन्धन योजना एक समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना है। इस योजना में समुदाय की सहभागिता से आपदा प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तरीय विभागों तथा अन्य हितभागियों द्वारा कार्रवाईयाँ/गतिविधियाँ बनायी गई हैं। जिला आपदा प्रबन्धन योजना जिला को आपदा प्रबन्धन में मजबूती प्रदान करेगा।

आ”गा है, कि यह योजना जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत आपदा से निपटने तथा उससे होने वाले क्षति को कम करने एवं विभिन्न विभागों के कार्यों तथा गतिविधियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों के समावेश हैं। अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। भविष्य में आपदा प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में उसके बेहतर प्रभाव व उपयोग के दृष्टिगत समर्त हितभागियों के तरफ से दिये जाने वाले सुझावों का स्वागत किया जायेगा तथा योजना में समाहित किया जायेगा।

(अजय कुमार तिवारी, ‘विप्रोसे०’)
अपर समाहर्ता,
आपदा प्रबंधन,
समर्तीपुर।

विषय—सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश (Executive Summary)	9–11
1	परिचय (Introduction) <p>1.1 उद्देश्य 1.2 योजना का कार्यक्षेत्र 1.3 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व 1.4 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण</p>	12–15
2	जिले का परिचय District Profile <p>2.1 भौगोलिक विवरण 2.2 जिले का प्राकृतिक संसाधन 2.3 जिले का जनसंख्यात्मक विवरण</p>	16–18
3	खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis) <p>3.1 जिला में संभावित खतरों का विश्लेषण 3.2 संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण 3.3 क्षमता विश्लेषण</p>	19–38
4	संस्थागत ढाँचा (Institutional Arrangement) <p>4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4.2 पंचायतें 4.3 समुदाय आधारित संगठन 4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 4.5 समन्वय तंत्र</p>	39–46
5	आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय (Prevention, Mitigation and Preparedness Measures) <p>5.1 विभाग / एजेंसी का विशिष्ट कार्य 5.2 सभी विभाग / एजेंसी के लिए कार्य 5.3 विभागों / एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य</p>	47–63

6	क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण (Capacity Building and Training) 6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण 6.2 समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित 6.3 पेशेवर विशेषज्ञ 6.4 प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सुविधा 6.5 जागरूकता	64–68
7	प्रत्युत्तर योजना (Response Planning) 7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया 7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य 7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक 7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र	69–83
8	पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनप्राप्ति (Reconstruction, Rehabilitation and Recovery) 8.1 क्षति आकलन 8.2 पीड़ितों को राहत 8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन 8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण	84–87
9	बजट एवं वित्तीय संसाधन (Budget and Financial Resources) 9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ/कार्यक्रम 9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम 9.3 अन्य स्रोत	88–91
10	अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण (Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP) 10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन	92–93

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

परिभाषाएँ :

धारा-2 (घ) “आपदा” से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान्(भारी) हानि या मानवीय पीड़ाएँ या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण(व्यापक)का है, जो प्रभावित क्षेत्रके समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

धारा-2 (ड.) “आपदा प्रबंधन” से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृतप्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक है :—

- i. किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण,
- ii. किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या उनमें कोई कमी,
- iii. क्षमता निर्माण,
- iv. किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियाँ,
- v. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव
- vi. किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण,
- vii. निष्क्रमण, बचाव और राहत,
- viii. पुनर्वास और पुनर्निर्माण,

आपदा(Disaster): कोई भी समुदाय या समाज की संवेदनशीलता तथा आपदा से मुकाबला करने की क्षमता किसी खतरे के सम्मुख अनावृत (Exposure) होने की स्थिति में इनके बीच अंतक्रिया के फलस्वरूप मानव जीवन या संपत्ति अथवा आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति या संघात (Injury) होने से सामान्य क्रिया कलापों पर गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो जाय उसे आपदा कहते हैं।

खतरा(Hazard): कोई ऐसी दुर्घटनायें, प्रक्रियायें या मानवीय गतिविधियाँ जो मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य के लिए संघातिक हो अथवा जिनसे संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान हो एवं दैनिकी समाजिक-आर्थिक क्रिया कलापों में अकस्मात् व्यवधान उत्पन्न हो जाय तो इसे खतरा(Hazard) कहा जायेगा। खतरे के प्रकार :-

- जैविक
- पर्यावरणीय
- भू-गर्भीय या भू-भौतिकी
- जलवायु संबंधी
- तकनीकी

आपदा जोखिम(Disaster Risk): किसी व्यवस्था, समाज अथवा समुदाय एवं स्थानिक पर्यावरण की संवेदनशीलता, आपदा से मुकाबला करने की क्षमता तथा प्रभावकता के बावजूद होने वालीमृत्यु, शारीरिक संघात, अथवा संपत्ति विनाश/क्षति की संभावना को आपदा जोखिम कहा जायेगा।

स्वीकार्य जोखिम(Acceptable Risk): तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों में जिस सीमा तक जोखिम को नजर अंदाज किया जा सकता है उसे ही स्वीकार्य जोखिम (Acceptable Risk) कहेंगे।

अवशेष जोखिम(Residual Risk) :जोखिम न्यूनीकरण के लिए यथा संभव जरूरी उपाय करने के बावजूद यदि आपदा जोखिम अवशेष रहे, जिसके लिए आकस्मिक आपदा मोचन अथवा पुर्नप्राप्ति की क्षमता अनिवार्य रूप से हासिल कर ली गई हो तो ऐसे जोखिम को अवशेष जोखिम कहा जायेगा।

आपदा जोखिम शासन(Disaster Risk Governance) :जिन संस्थानों, प्रक्रियाओं, नीतियों, नियम-कानून तथा अन्य व्यवस्थाओं के बीच एक प्रभावी सामंजस्य के साथ आपदा जोखिम का सफलता पूर्वक निषेधीकरण अथवा न्यूनीकरण को तत्पर व्यवस्था को आपदा जोखिम शासन कहेंगे।

आपदा जोखिम सूचना(Disaster Risk Information) :आपदा जोखिम के सभी आयामों सहित किसी खतरे के दायरे में अवस्थित संवेदनशील समूह संपत्ति या प्रभावित होने वाले व्यक्ति, समूह, संस्थान या राज्य एवं उनकी परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारियों को आपदा जोखिम सूचना कहा जायेगा।

आपदा जोखिम प्रबंधन(Disaster Risk Management): नये आपदा जोखिम का निषेधीकरण, वर्तमान जोखिम का न्यूनीकरण तथा अवशेष आपदा जोखिम का प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों तथा रणनीतियों का प्रयोग करते हुये आपदा क्षति में कमी लाना तथा आपदा से मुकाबला करने की शक्ति में अभिवृद्धि करना ही आपदा जोखिम प्रबंधन है।

संवेदनशीलता(Vulnerability) :किसी व्यक्ति समुदाय संपत्ति या व्यवस्था को परिस्थिति विशेष में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय कारणों अथवा प्रक्रियाओं के चलते उत्पन्न खतरों की विभिन्निका से मुकाबला करने को विवश होना पड़े तो इसे संवेदनशीलता कहते हैं।

क्षमता(Capacity): किसी संस्था, समुदाय या समाज के पास उपलब्ध संसाधन, शक्ति तथा अन्य विशेषताओं (Attributes) जिसका उपयोग कर आपदा जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। उसे क्षमता कहते हैं।

आपदा से मुकबला करना(Coping Capacity) :किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था के द्वारा उनके पास उपलब्ध कौशल एवं संसाधन का उपयोग करते हुये विपरीत परिस्थितियों में आपदा जोखिम से मुकबला करने की क्षमता आयाम लेती है।

कार्यकारी सारांश

(Executive Summary)

जिला योजना आपदा प्रबन्धन योजना, आपदा अधिनियम 2005 को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण का मुख्य उद्देश्य है, “जीवन एवं आजीविका के जोखिम को न्यूनीकरण करते हुए स्थायी विकास को प्रोत्साहित करना”।

योजना में सेन्डर्ड फ्रेमवर्क फार एक्शन (सन् 2015–2030) को दृष्टिगत रखते हुए चार प्राथमिकताओं को विशेष रूप से शामिल किया गया है; जैसे— जिला में अवस्थित आपदा खतरों को समझना, आपदा जाखिम गवर्नेंस का सुदृढ़ीकरण ताकि आपदा के जाखिम को कम किया जा सके, स्थायी विकास के लिए आपदा जाखिम न्यूनीकरण में निवेश एवं प्रभावी आपदा प्रत्युत्तर और बिल्ड बैंक बेटर अर्थात् बेहतर पुनर्निर्माण के लिए आपदा पूर्व तैयारी को बढ़ावा देना।

लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्षेत्रवार, मौसमवार एवं प्रकोपवार जोखिम की पहचान कर न्यूनीकरण हेतु विभागवार सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित किया गया। इन क्रियाकलापों को 5 (पांच) अवयवों में विभक्त किया गया है, यथा— सुरक्षित ग्राम (रेजिलिएन्ट विलेज), सुरक्षित शहर (रेजिलिएन्ट सिटी), सुरक्षित आजीविका (रेजिलिएन्ट लाइवलीहुड), सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ (रेजिलिएन्ट बेसिक सर्विसेज) एवं सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ (रेजिलिएन्ट क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर)।

आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक ढाँचा, कर्मियों की व्यवस्था एवं विशेष रूप से जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) की भूमिका एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है।

जिला में प्रकोप, संवेदन”ीलता, जोखिम एवं क्षमता की पहचान कर आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए 3 जोन में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम हाई डमेज रिस्क जोन, मिडियम डमेज रिस्क जोन एवं लो डमेज रिस्क जोन में विभाजित किया गया है। आपदा जाखिम न्यूनीकरण हेतु विभाग वार संसाधनों की पहचान सुनिश्चित किया गया है।

विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलाप:— आपदा प्रबन्धन योजना में विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले क्रियाकलापों की विवरणी अंकित है। क्रियाकलापों के निर्धारण में ध्यान रखा गया है कि विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए क्रियाकलापों को सम्पादित करें।

अनुश्रवण की व्यवस्था—आपदा प्रबन्धन के क्रियान्वयन के सतत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की भी व्यवस्था रखी गयी है। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर की अध्यक्षता में आहूत जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) की छमाही बैठक में निर्धारित किये गये कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अनुश्रवण किया जाएगा।

योजना की समीक्षा एवं अदतनीकरण

जिला आपदा प्रबन्धन योजना पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष में दो बार (माह जून एवं नवम्बर) सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपदा पूर्व तैयारीयों की समीक्षा की जायेगी।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम के नियम 31 के उपनियम 24 के अनुसार “**जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा**”

जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अद्यतन हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभागस्तरीय आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व निर्मित योजनाओं का अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उस योजना की एक प्रति जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को निर्धारित समयानुसार हस्तगत करना होगा।

पूर्व तैयार योजना का अद्यतनीकरण करते समय निर्माण करने वाले समस्त हितभागियों तथा अधिकारियों को निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक होगा –

समग्रता आधारित—जिले के सभी आपदाओं तथा उससे होने वाले संभावित प्रभावों, जोखिम को शामिल करना तथा विभिन्न विभागों द्वारा आपदाओं के सभी फेजों एवं चरणों को ध्यान में रखते हुए योजना का पुनरावलोकन एवं अद्यतनीकरण करना होगा।

एकीकृत— पूर्व तैयारी, राहत एवं बचाव, प्रत्युत्तर एवं न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी आपदाओं से बचाव की योजना में समुदाय, सरकार एवं अन्य हितभागियों की उपयोगिताओं को सुनिश्चित करना होगा।

सहभागी—योजना का आपदा प्रभावित समुदाय, पंचायत, जिला प्रशासन, सरकार एवं विशेषज्ञ संगठन की सहभागिता सुनिश्चित कराते हुए पुनरावलोकन एवं अद्यतनीकरण करना होगा।

सहयोगी— सभी हितधारकों द्वारा किये गये कार्यों की उपयोगिता, सीख एवं सार्वजनिक नेतृत्व को महत्व देते हुए उसे एक-दूसरे के साथ साझा करना। व्यक्ति तथा एजेंसियों के बीच प्रभावी सम्बंध बनाने हेतु साझा मंच विकसित करना।

सामाजिक समावेश—एक आपदा, प्रभावित क्षेत्र के विकास को दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए समुदाय ने विकास में पर्याप्त जोखिम में कमी के उपायों को शामिल किया होता, तो प्रभाव को कम किया जा सकता है। एकीकृत तरीके से विकास और डीआरआर वाले दृष्टिकोण को डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। इसका मतलब यह भी है कि डीआरआर मेनस्ट्रीमिंग का मौलिक रूप से विस्तार करें ताकि यह एक सामान्य अभ्यास बन जाए, जो आपदा प्रत्युत्तर के लिए तैयारियों के अलावा प्रत्येक एजेंसी की नियमित योजना और कार्यक्रमों में पूरी तरह से संस्थागत हो जाये। सामाजिक स्थितियों के आधार पर खतरों में कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आपदाओं के लिए मानव प्रत्युत्तर अक्सर भेदभाव करते हैं। मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का मतलब है कि आपदाएं समान रूप से समान समुदायों के लिए अलग-अलग परिणाम पैदा कर सकती हैं, जहां सबसे कमज़ोर समूह भी दूसरों की तुलना में कई मामलों में असमान रूप से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति 2009 की प्रस्तावना में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर और

सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों में आपदाओं के दौरान सबसे अधिक नुकसान होता है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 विशेष रूप से भेदभाव के सभी रूपों को मना करता है। सामाजिक समावेश अधिकारों और अवसरों की समानता, व्यक्ति की गरिमा, विविधता को स्वीकार करने और सभी के लिए लचीलापन बनाने में योगदान देता है, जो किसी समुदाय के सदस्यों को उम्र, लिंग, दिव्यांगता अन्य के आधार पर नहीं छोड़ता है।

डीआरआर मेनस्ट्रीमिंग या मुख्यधारा डीआरआर: आपदा की संभावनाओं को पहचाने और पर्याप्त जोखिम में कमी को शामिल किए बिना विकास, वास्तव में, मौजूदा जोखिमों को विकराल बना सकता है और इसके साथ नए जोखिमों के शुरू होने की संभावनायें बढ़ जाती हैं, इससे संभावित आपदाओं का नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। मुख्यधारा डीआरआर एक दृष्टिकोण है जिसमें विकास और डीआरआर दोनों को विकास के सभी पहलुओं – नीतियों, योजना और कार्यान्वयन में एक सहज तरीके से समर्वर्ती रूप से शामिल किया जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी जोखिम के रूप में कार्य करता है, हर हाइड्रो-क्लाइमेटिक संबंधी खतरे से जुड़ी अनिश्चितताओं को बिगड़ता है, जिससे जोखिम परिदृश्य बदलता है। एसडीजी के तहत कार्रवाई और जलवायु परिवर्तन की प्रत्युत्तर एवं विकास की पहल के अभिन्न अंग हैं और इन सभी में आपदा लचीलापन का निर्माण आम विषय है।

लचीलापन(Resilience):—आपदा जाखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हेतु रचनात्मक एवं नवीन तरीका अपनाना। योजना में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, नैतिक आचरण, जवाबदेही और निरंतर सुधार आदि पर आधारित ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देना।

विकासात्मक:— आपदाओं से प्रभावित समुदाय के क्षमता निर्माण हेतु भावी आपदाओं का अनुमान करना तथा उसके निवारण हेतु पूर्व तैयारी के लिए क्षमता निर्माण की योजना को महत्व देना।

अध्याय:1—परिचय (Introduction)

जिला आपदा प्रबंधन योजना सरकार, समुदाय, निजीगत क्षेत्रों तथा स्वयं सेवी संगठनों को दृष्टिगत रखते हुए समस्तीपुर जिला हेतु तैयार किया गया है। यह योजना जिला में निवास करने वालों समुदायों, सरकारी विभागों, स्वयं सेवी संगठनों, निजीगत क्षेत्रों एवं समुदाय आधारित संगठनों आदि सभी के लिए है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण, अद्यतनीकरण तथा कार्यान्वयन तथा इसमें नियमित सुधार का अधिकार और जवाबदेही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समस्तीपुर को है। इस योजना के निर्माण में जिले में स्थित सभी हितभागी समूहों ने सहभाग किया है। वर्णित हितभागी समूहों की भूमिकाओं एवं जवाबदेहियों के विषय में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को ध्यान में रखते हुए योजना के दोनों खण्डों (आपदा शमन एवं प्रत्युत्तर योजना) में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

1.1—उद्देश्यः—जिला आपदा प्रबंधन योजना निर्माण हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं:-

1. आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए जिले के सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक स्थितियों पर समझ विकसित करना।
2. जिला के प्रकोप, जोखिम, संवेदनशीलता का विश्लेषण करते हुए प्राकृतिक एवं मानव निर्मित खतरों हेतु संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना।
3. जिले के चिह्नित जोखिमों के शमन के लिए जिला स्तरीय विभिन्न हितभागियों को शमन के उपाय सुझाना।
4. समुदाय स्तर/स्थानीय निकाय स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी को महत्व देना।
5. संस्थागत तंत्र के अन्तर्गत प्रशासन, सरकारी विभाग एवं अन्य हितभागियों को सुगमकर्ता की भूमिका हेतु तैयार करना।
6. जोखिम में कमी लाने हेतु जिला स्तर के विभिन्न हितभागियों की कार्य योजना विकसित करना।
7. आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण में जिला स्तरीय हितभागियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित कराकर उन्हें योजना के प्रति जागरूक करना।
8. समस्त हितभागियों द्वारा समय से योजना का अद्यतनीकरण करने हेतु प्रक्रिया निर्माण करना।
9. जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित समावेशी अभ्यास तथा इसे विकास सम्बन्धी नवाचारों के साथ समाहित करने के लिए समेकित एवं समन्वित योजना बनाना।
10. पुर्वास में पहले से बेहतर (बिल्ड बैक बेटर) की अवधारणा को समझना।

1.2 योजना का कार्यक्षेत्र

आपदा प्रबंधन योजना के दायरे में सम्पूर्ण समस्तीपुर जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2,904 वर्ग किलोमीटर है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 4,261,566 है। इस जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय, पंचायती राज्य संस्थायें यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा शहरी निकाय आते हैं। जिले के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में कई अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा कई स्थानीय स्वयं सेवी संस्थायें कार्य कर रही हैं।

योजना बनाने के क्रम में जिन बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया, वो निम्नांकित है :—

1. आपदा प्रबंधन योजना का निरूपण करते समय यहाँ जितने भी सरकारी/गैर सरकारी हितधारक हो सकते हैं, से संपर्क कर उनसे उनके द्वारा पूर्व में किए गये पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर, खतरों का चिह्निकरण, पुनर्प्राप्ति (रिकवरी), शमन के अनुभवों को शामिल किया गया है।
2. इस क्रम में विभिन्न धार्मिक स्थलों मेले बड़े-बड़े सभा स्थल आदि को भी संवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है।
3. जिले में सड़क दुर्घटना आपदा का स्वरूप लेने लगी है। अतः योजना में सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा/बचाव कोशामिल किया गया है।
4. जलवायु परिवर्तन को भी योजना निर्माण के क्रम में दृष्टिगत रखा गया है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन को यह भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षापात, सूखाड़, तापक्रम में वृद्धि इत्यादि परिलक्षित हो रहा है।
5. वज्रपात वर्तमान में अकस्मात् दुर्घटना के रूप में उभर कर आयी है।
6. इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं को निरन्तर बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं यंत्र-संयंत्र के रखरखाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास को ध्यान में रख कर योजना निर्माण किया गया है।
7. आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं एकीकरण की आवश्यकता होती है। योजना निर्माण के क्रम में सभी स्तरों पर इसे अपनाने के प्रयास किए गए हैं।

1.3 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व

जिला आपदा प्रबंधन योजना में जिले के प्रकोप, जोखिम एवं संवेदन”ीलताको वर्णित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) जिला स्तरीय विभागों को आपदा प्रबंधन साइकिल में वर्णित समस्त चरणों में कार्रवाई हेतु एक दि”गा निर्देश”। एवं फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। समय—समय पर आपदा प्रबंधन में उभरते वै”वक सर्वोत्तम अभ्यासों एवं स्थानीय एवं वै”वक ज्ञान के आधार पर जिला को आपदामुक्त/आपदा का सामना करने में सक्षम (Resilience) बनाने में डी०डी०एम०पी०एक “प्रगति”ील दस्तावेज” होगा। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा आपदा प्रबंधन नीति 2009 के दि”गा—निर्देश”। एवं स्थानीय अभ्यासों के अनुसार तैयार किया गया है।

आपदाओं के बदलते स्वरूप में उसका प्रबंधन न केवल वै”वक स्तर पर वरन् स्थानीय स्तर पर भी अब एक अनिवार्य विषय हो गया है। बिहार राज्य के सन्दर्भ में बात करें तो वर्ष 2005 के पूर्व तक बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं किया जाता था, लेकिन 2005 के बाद भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किये जाने तथा आपदाओं की बढ़ती तीव्रता व बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में यह अनिवार्य हो गया कि न सिर्फ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ही आपदा प्रबंधन योजना तैयार करे एवं बल्कि प्रत्येक विभाग को भी अपना आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना अनिवार्य है। अब आपदा प्रबंधन का विषय केवल राहत पहुंचाने तक ही सीमित नहीं रह गया है, अपितु सभी स्तरों पर क्षमता विकसित करने तथा जोखिम न्यूनीकरण करने सम्बन्धी विषयों को भी इसमें प्रमुखा से शामिल किया जाने लगा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आपदा प्रबंधन को विकास कार्यक्रमों से अलग न देखते हुए इसे एक समेकित बहु आयामी गतिविधि के रूप में कार्यान्वित किया जाये।

यह योजना न्यूनीकरण की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है तथा उसके आधार पर किसी भी आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु सभी जिम्मेदार हितभागियों को स्पष्टता प्रदान करेगा कि कौन सा विभाग/हितभागी किस प्रकार के आपदाओं को प्रबंधन हेतु जवाबदेह है। डी०डी०एम०पी० में यह परिकल्पना किया गया है, कि जिले में किसी भी प्रकार की अगर आपदा होती है तो उसकी कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन तत्पर है। डी०डी०एम०पी० को इस तरीके से बनाया गया है, कि आपदा के किसी भी चरण में आसानी पूर्वक विस्तृत रूप से प्रयोग किया जा सके।

डी०डी०एम०पी० को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपदा पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जायेगी। डी०डी०एम०पी० के अद्यतनीकरण हेतु आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभागस्तरीय आपदा प्रबंधन हेतु पूर्व निर्मित योजनाओं का अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उस योजना की एक प्रति जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा डी०डी०एम०ए० को निर्धारित समयानुसार हस्तगत करना होगा।

1.4 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण

जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। इसे प्रत्येक वर्ष संबंधित हितधारक विभागों द्वारा अद्यतन किया जायेगा। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करते हुये इसका एक—एक प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं विभाग को उपलब्ध कराई जानी है।


आपदा कैलेन्डर के दृष्टिगत प्रत्येक संभावित आपदा काल के पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आहूत विशेष बैठकमें आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा न्यूनीकरण की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तदनुसार सभी हितभागी अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए तैयार रहेंगे। आपदा के दौरान किये गये कार्यों के प्रभाव की भी समीक्षाकी जायेगी तथा इन समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला आपदा प्रबंधन योजना को पुनर्मुख्यांकन कर इसे पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा। (आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31(4)द्रष्टव्य)

अध्याय: 2 जिले का परिचय (District Profile)

2.1 भौगोलिक विवरण

समस्तीपुर जिले का 2,904 वर्ग किलोमीटर (1,121 वर्ग मील) का क्षेत्रफल है, यह तुलनात्मक रूप से इंडोनेशिया के मुना आइलैंड के बराबर है। समस्तीपुर उत्तर में बागमती नदी से घिरा है, जो इसे दरभंगा जिले से अलग करता है। पश्चिम में यह वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के सीमाओं के समीप है, दक्षिण में गंगा नदी जबकि पूर्व में बेगूसराय और खगरिया जिले के कुछ हिस्से हैं। जिला मुख्यालय समस्तीपुर में स्थित है।

जिला मुख्यालय सभी प्रखंड मुख्यालयों से बारहमासी सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ है। यह उत्तर पूर्व रेलवे का मंडल मुख्यालय है। जिले का पटना, कोलकाता, दिल्ली, धनबाद, जमशेदपुर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से सीधा रेल संपर्क है। समस्तीपुर जिले से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पूर्वोत्तर रेलवे का मंडल मुख्यालय है। जिला $25^{\circ}30'00''$ से $26^{\circ}5'00''$ अक्षांश उत्तर और $85^{\circ}37'50''$ से $86^{\circ}23'30''$ पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। जिले की कुल जनसंख्या 4261566 है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 4113769 तथा शहरी जनसंख्या 147797 (2011 की जनगणना के अनुसार) है।



प्रशासनिक संरचना:

अनुमंडल	4
प्रखंड	20
नगर निगम	1 (समस्तीपुर)
नगर परिषद	4 (रोसड़ा, दलसिंहसराय, ताजपुर, पटोरी)
नगर पंचायत	3 (मुसरीघरारी, सरायरंजन, सिंधिया)
पंचायत	343
राजस्व गाँव	1260

2.2 जिले का प्राकृतिक संसाधन

नदियाँ

समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक, बाया, कोसी, कमला, करह, जामवारी और बलान सहित कई नदियाँ निकलती हैं, जामवारी और बलान दोनों बुरी गंडक की शाखाएं हैं। जिले के दक्षिण भाग में गंगा नदी की धारायें बहती हैं।

कृषि एवं उत्पादन

समस्तीपुर अपने उपजाऊ मैदान की वजह से कृषि में समृद्ध है। तंबाकू मक्का, चावल और गेहूं मुख्य फसलें हैं। लीची और आम फल बहुतायत में उगाए जाते हैं। मुक्तापुर गांव में एक जूट मिल है। समस्तीपुर में कई चीनी मिलों हैं जो इसे राज्य के चीनी उत्पादन में एक प्रमुख जिला बनाती हैं।

समस्तीपुर आलू का प्रमुख उत्पादक है। जिले में 20 से अधिक ठंडे भंडार हैं, सभी आलू भंडारण और कुल क्षमता 650000 किवंटल है।

2.3 जिले का जनसंख्यात्मक विवरण

जनसंख्या	4,261,566
पुरुष	2,230,003
महिला	2,031,563
जनसंख्या वृद्धि	25.53%
क्षेत्रफल वर्ग / कि. मी.	2,904
घनत्व वर्गधिक. मी.	1,467
बिहार की जनसंख्या में अनुपात	4.09%
लिंग अनुपात (प्रति 1000)	911
बाल लिंग अनुपात (आयु 0–6)	923
औसत साक्षरता	61.86
पुरुष साक्षरता	71.25
महिला साक्षरता	51.51
कुल बाल जनसंख्या (आयु 0–6)	797,381
पुरुष जनसंख्या (आयु 0–6)	414,586
महिला जनसंख्या (आयु 0–6)	382,795
साक्षरता	2,142,880
साक्षर पुरुष	1,293,575
साक्षर महिला	849,305
बाल अनुपात (आयु 0–6)	18.71%
पुरुष अनुपात (आयु 0–6)	18.59%
महिला अनुपात (आयु 0–6)	18.84%

अध्यायः ३—खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis)

3.1 जिला में संभावित खतरों का विश्लेषण

समस्तीपुर बहु—आपदा प्रभावित जिला है। जिले में सर्वाधिक क्षति बाढ़ के कारण होता है। जिले में अधिकांश ग्रामीण समुदाय की आजीविका मुख्यतः कृषि है जो विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय आपदा के प्रभाव से प्रभावित होती है। ऐसे में छोटे—मझोले और बड़े किसान जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थितियों को विश्लेषकर झेलते हैं, जबकि उनकी आजीविका विभिन्न जोखिमों और उनके प्रकोपों से सीधे प्रभावित होती है जिसका असर उनके जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

3.2 जिले में आपदाएँ:

समस्तीपुर सभी मुख्य जोखिमों (प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों) के प्रति संवेदनशील है। जिला में बाढ़, वज्रपात, अगलगी, भूकम्प, गर्म हवाएं/लू शीतलहर, सूखाड़, सड़क दुर्घटना, जल स्त्रोत में डूबने की घटनाआदि से प्रभावित होता है। जिले के लगभग सभी प्रखण्ड किसी न किसी आपदा से प्रभावित होता रहता है। आपदाओं के कारणमानव की आजीविका तथा जीवन दोनों ही प्रभावित होता है। आपदा के कारण पर्यावरण की क्षति, खाद्य पदार्थों की कमी, शिक्षण कार्य अवरुद्ध, स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याएं, मानसिक तनाव, जनसंख्या का विस्थापन, आर्थिक तंगी, पशु आहार की समस्या, यातायात की समस्या इत्यादि उत्पन्न हो जाती है। मूलभूत सुविधाओं के आभाव व आर्थिक समस्या से समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा पहले जैसी स्थिति प्राप्त करने में समुदाय एवं प्रशासन को लम्बा समय लग जाता है।

तालिका:-९: जिले का प्रमुख आपदाएँ

क्रम संख्या	प्राकृतिक आपदाएँ	क्रम संख्या	मानव जनित आपदाएँ
1	बाढ़	1	सड़क दुर्घटना
2	भूकम्प	2	डूबने की घटना
3	शीतलहर	3	अगलगी
4	गर्म हवाएं/लू	4	नाव दुर्घटना
5	सूखाड़	5	भगदड़
6	सर्पदं”।	6	रेल दुर्घटना
7	वज्रपात/ठनका	7	अद्यौगिक दुर्घटना
8	ओलावृष्टि		
9	महामारी		

तालिका:-10: जिले में बहु-आपदाओं का मौसमी मानचित्र

क्रम संख्या	जोखिम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित॑	अक्ट॑	नव॑	दिस॑
जिले में जोखिम													
1	बाढ़						मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम		
2	वज्रपात							उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम		
3	अगलगी	सामान्य	सामान्य	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य	सामान्य	सामान्य	सामान्य	मध्यम	मध्यम
4	भूकम्प	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
5	शीतलहर	उच्च											मध्यम
6	गर्म हवाएं / लू					उच्च	उच्च						
7	सूखाड़						उच्च	उच्च	उच्च				
8	सड़क दुर्घटना	उच्च	मध्यम									उच्च	
9	झूबने की घटना	सामान्य					मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम	सामान्य		
10	ओलावृष्टि	सामान्य											
11	भगदड़	सामान्य										उच्च	
12	रेल दुर्घटना	सामान्य											
13	अद्यौगिक दुर्घटना	सामान्य											
14	सर्पदं”।	सामान्य						उच्च			सामान्य		

3.3 समस्तीपुर में आपदाओं का विवरण—

बाढ़

जिले के कल्याणपुर, बिथान, हसनपुर, खानपुर, सिंधिया, समस्तीपुर, मोहिउद्दीनगर, मोहनपुर, विद्यापतिनगर, पटोरी, मोरवा, ताजपुर, विभूतिपुर, उजियारपुर, सरायरंजन प्रखण्ड बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ के पूर्व इतिहास के अनुसार जिले की प्रमुख प्राकृतिक आपदा बाढ़ है।

वर्ष 2020 में कल्याणपुर प्रखण्ड में सबसे अधिक 20 पंचायतों के कुल 43 गांव एवं 151 वार्ड प्रभावित हुए। वर्ष 2021 में कल्याणपुर, मोहिउद्दीनगर एवं पटोरी अत्यधिक प्रभावित हुआ जिसमें कुल 39 पंचायतों के 94 गांव एवं 257 शामिल हैं।

तालिका:-13: जिला में बाढ़ से नुकसान का प्रखण्डवार विवरण (सन् 2020 एवं 2021)

क्रमांक	विवरणी	वर्ष – 2020											कुल	
		Phase-I												
		कल्याणपुर	हसनपुर	सिंधिया	खानपुर	बिथान	समस्तीपुर	उजियारपुर	मोरवा	सरायरजन	विभूतिपुर	ताजपुर	दलसिंहसराय	
1	बाढ़ कारक नदी/धार का नाम	Budhi Gandak, Bagmati, Kareh											Noon,Baya	
2	प्रभावित होने वाले पंचायतों की संख्या	20	1	16	2	5	3	1	6	5	10	4	2	75
3	प्रभावित होने वाले गाँवों की संख्या	43	1	38	2	19	5	1	8	15	10	11	2	155
4	प्रभावित होने वाले वार्डों की संख्या	15 1	6	18 4	14	50	5	3	25	18	36	16	4	512
5	प्रभावित जनसंख्या (In Lac)	1.04143	0.0562	1.59123	0.07077	0.44688	0.036	0.0046	0.0291	0.04276	0.02305	0.031	0.00067	3.37369

क्रम	विवरणी	कुल	वर्ष – 2021											कुल				
			Phase-I						Phase-II				Phase-III					
			कल्याणपुर	बिथान	हसनपुर	खानपुर	सिंधिया	समस्तीपुर	मोहिउद्दीनगर	मोहनपुर	विद्यापितानगर	पटोरी	मोरवा	ताजपुर	दलसिंहसराय	सरायरजन	उजियारपुर	
1	बाढ़ कारक नदी/धार का नाम	Budhi Gandak, Bagmati, Kareh											Noon,Baya					
2	प्रभावित होने वाले पंचायतों की संख्या	75	13	4	1	3	1	2	15	11	4	11	9	2	3	7	1	87
3	प्रभावित होने वाले गाँवों की संख्या	155	19	18	1	10	1	2	42	29	4	33	20	2	3	8	1	193
4	प्रभावित होने वाले वार्डों की संख्या	512	58	45	6	19	2	2	139	138	12	60	87	7	11	27	3	616
5	प्रभावित जनसंख्या (In Lac)	3.37369	0.57644	0.4494	0.0546	0.131	0.0268	0.01628	1.99	1.155	0.11655	0.57	0.4952	0.012	0.00895	0.092	0.00512	5.69934

वज्रपात / ठनका

विगत कुछ वर्षों में बिहार में वज्रपात का प्रकोप देखने को मिला है जिसमें कई जाने चली गई है। जिले में वज्रपात भी एक आपदा के रूप में देखा जा रहा है। जिला में मानव क्षति के आधार पर सर्वाधिक संवेदनशील प्रखण्ड विभूतिपुर, मोहनपुर, रोसड़ा एवं मोरवा रहा है। जिले में वज्रपात से वर्ष 2020 में कुल 16, 2021 में 8 एवं 2022 में 5 मानव क्षति हुई है। मानव हानि का विस्तृत विवरण वर्षावार निम्नवत् है—

तालिका:-14: जिले में ठनका से मानव क्षति का विवरण

क्रम सं०	प्रखण्ड	2020	2021	2022	कुल
1	समस्तीपुर	1	1	0	2
2	ताजपुर	0	0	0	0
3	मोरवा	0	2	1	3
4	खानपुर	0	0	0	0
5	सरायरंजन	0	1	1	2
6	पूसा	1	0	0	1
7	वारिसनगर	1	0	1	2
8	कल्याणपुर	0	0	0	0
9	रोसड़ा	3	0	0	3
10	हसनपुर	1	1	0	2
11	बिथान	1	1	0	2
12	शिवाजीनगर	0	0	0	0
13	सिंधिया	0	0	0	0
14	बिभूतिपुर	4	1	0	5
15	दलसिंगसराय	0	0	0	0
16	उजियारपुर	0	0	0	0
17	विद्यापतिनगर	1	0	0	1
18	पटोरी	0	0	0	0
19	मोहनपुर	3	0	2	5
20	मोहिउद्दीननगर	0	1	0	1
Total		16	8	5	29

अगलगी

जिला में गर्मी के दिनों में एवं पछुआ हवा चलने के दौरान अग्निकाण्ड की घटनायें होती रहती है। सामान्यतः आग सूखे मौसम में मनुष्यों की अपनी असावधानी के कारण बीड़ी, सिगरेट, माचिस अदि के जलते टुकड़ों से लगती है। बिजली के तार के एकाएक टूटकर गिरने, घरों में जलते चूल्हों, गैस या कोयले की भट्टियों, बिजली की शार्ट सर्किट, बिजली के नंगे तारों एवं उनके ढीले जोड़ों के कारण लापरवाही से उपयोग में लाने, बिजली के उपकरणों में स्पार्किंग या सार्ट सर्किट प्रमुख कारण हैं। समस्तीपुर में वर्ष 2020 में अगलगी की कुल 350, 2021 में 199 एवं 2022 में 196 संख्या में घटना हई है। अतः देखा जाय तो अगलगी की घटना से भी समस्तीपुर जिला "संवेदनशील" है। जिले में अग्निकाण्ड की घटना का विवरण निम्नांकित रहा है—


क्रम सं०	प्रखण्ड	2021-22	2020-21	2019-20
1	समस्तीपुर	18	17	53
2	ताजपुर	16	11	12
3	मोरवा	3	1	1
4	खानपुर	2	2	5
5	सरायरंजन	13	19	7
6	पूसा	7	6	5
7	वारिसनगर	4	11	8
8	कल्याणपुर	14	13	14
9	रोसड़ा	12	11	14
10	हसनपुर	9	6	23
11	बिथन	6	8	7
12	शिवाजीनगर	1	0	13
13	सिंघिया	11	1	10
14	बिभूतिपुर	21	18	40
15	दलसिंगसराय	9	10	27
16	उजियारपुर	11	13	28
17	विद्यापतिनगर	9	8	7
18	पटोरी	13	21	40
19	मोहनपुर	11	13	28
20	मोहिउद्दीननगर	6	10	8

तालिका:-15: जिले में अग्निकाण्ड का विवरण

भूकम्प

भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम सिस्मिक जोन मानचित्र के अनुसार समस्तीपुर जोन IV में होने के कारण क्षेत्रों में भी अधिक नुकसान होने की संभावना है।

ऐसे में भूकम्प से बचाव हेतु पूर्व तैयारी न करने, निर्माण गतिविधियों की उचित निगरानी न होने, उपयुक्त तकनीकी दक्षता का अभाव तथा भूकम्प जोखिम के शमन उपायों पर आमजन के बीच जागरूकता न होने आदि कारणों से पहले से ही नाजुक भौगौलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों/समुदाय या फिर क्षेत्रों की नाजुकता और भी बढ़ जाती है।



भूकम्प जोन मानचित्र

तालिका:-18: जिले में भूकम्प से हुये क्षतियों का विवरण

शीतलहर

जिले में दिसम्बर माह के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक ठंड का प्रकोप रहता है। इस मौसम में सामान्यतः देखा गया है कि कोहरे के साथ शीतलहर चलती है। ऐसी स्थिति में शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए समुदाय को अलाव का सहारा लेना पड़ता जाता है। शीतलहर के समय सड़कों पर धुंध/फॉग हो जाने के कारण कम दूरी तक ही दिखाई पड़ती है। इस कारण (**Poor visibility**) के कारण सड़क दुर्घटनाएँ अधिक होने की संभावनाएँ बनी रहती है। कभी-कभी कुछ सड़कों पर एक साथ एक-दूसरे से गाड़ियाँ टकड़ा जाने के कारण सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं।



शीतलहर की स्थिति	तापमान
शीतलहर	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10°C या उससे अधिक पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 7°C कम हो जाए।
	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10°C या इससे कम पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 5°C से कम हो जाए।
पाला	जहाँ तापमान 0°C से कम हो जाए या रबी फसल के लिए असामान्य स्थिति हो तो इसे पाला कहा जायेगा।

स्रोत: आपदा प्रबंधन विभाग

इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान ने भी किसी भी क्षेत्र के सामान्य दिन (अधिकतम) और रात (न्यूनतम) के तापमान के अन्तर को, उष्णता / "शीतलहर के लिए तापमान को परिभाषित करने का आधार मानता है। शीतलहर को मध्यम या तीव्र तब माना जाता है, जब वर्तमान न्यूनतम तापमान सामान्य से ($6-7^{\circ}\text{C}$) कम हो जाए अथवा 8°C से कम हो जाए। अब इसके आकलन में स्थानीय जलवायु की स्थितियाँ और तापमान में हुए परिवर्तनों को भी महत्व देने की बात की जाती है।

गर्म हवाएं/लू :

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रकाशित बिहार का जिलावार तापक्रम मानचित्र यह दर्शाता है कि रोहतास जिले में अब तक संकलित अधिकतम उच्चतम तापमान 48 से 49 डिग्री सेन्टीग्रेड पाया गया है, तथा अधिकतम औसत तापमान 40 से 41 डिग्री सेन्टीग्रेड के बीच (मई महीने में) पाया गया है। तापक्रम संबंधी अभिलेख इस जिले की लू एवं उष्णता संबंधी जोखिम की तीव्रता बताती है जो कि बिहार में अधिकतम है।



14वीं वित्त आयोग के प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने कुछ अन्य आपदाओं समेत लू को स्थानीय आपदा घोषित किया है ताकि ऐसे मौकों पर विशेष कार्य योजना बनाने तथा विशेष सहायता देने में सुविधा हो सके।

गर्मी के मौसम में वातावरण में गर्मी एवं नमी का बदलाव होना स्वाभाविक है इसलिए भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी, लू या उष्माघात को परिभाषित किया है। केन्द्र की परिभाषा के अनुसार अगर किसी समय सामान्य तापमान से 4.5–6.4 डिग्री अधिक हो तो उसे भीषण गर्मी या लू की संज्ञा दी जाती हैं। मैदानी इलाकों में जब तापमान लगातार 40° सेन्टीग्रेड से ज्यादा बना रहे तो हम उसे भीषण गर्मी या लू की स्थिति कहते हैं। उपरोक्त स्थिति अगर दो-तीन दिनों तक बनी रहे तो एक कार्य योजना के तहत मौसम विभाग के पुर्वानुमान को आधार मानकर तैयारी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

खतरे का परिणाम :

- घमौरी (गर्मी के कारण फोड़े)।
- ऐठन (गर्मी के कारण क्रैम्प)।
- बेहोश हो जाना (गर्मी से मुर्छा)।
- गर्मी से थकावट।
- उष्माघात (सनस्ट्रोक)।
- निर्जलीकरण (डिहाईड्रेशन)।

इस स्थिति में व्यक्ति आपात स्थिति में जा पहुँचता है और प्राथमिक सहायता के साथ-साथ तुरंत चिकित्सीय सहायता की जरूरत होती है।

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी या लू की स्थिति को 'कलर कोड' से चिह्नित किया है।

इससे जनमानस को भी आसानी से समझने में सहुलियत होगी।

नीचे की सारणी में कलर कोड को दर्शाया गया है—

ग्रीष्म लहर की चेतावनी हेतु कलर कोड :

कलर कोड	ग्रीष्म लहर की स्थिति	तापमान
लाल रंग गंभीर परिस्थिति	अत्यन्त गर्म हवा से सचेत करने का दिन	सामान्य (अधिकतम) तापमान से 6° डिग्री सेन्टीग्रेड या और ज्यादा होने पर
नारंगी रंग मध्यम परिस्थिति	गर्म हवा से सतर्क रहने का दिन	सामान्य (अधिकतम) तापमान से 4° से 5° डिग्री सेन्टीग्रेड
पीला रंग गर्मी की लहर की चेतावनी	गर्म दिन	सामान्य (अधिकतम) के आसपास का तापमान
सफेद रंग सामान्य	सामान्य दिन	सामान्य से कम तापमान होने पर

स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र

सूखाड़

आपदा प्रबंधन विभाग पटना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जिले में सन् 1966, 1971, 1972, 1979, 1982, 1992, 2001 और 2009 में सूखाड़ का असर रहा है। सूखाड़ का प्रमुख कारण औसत वर्षापात का कम होना एवं सिंचाई सुविधाओं का आभाव है।

सूखे का संकेतक :

- वर्षा का कम होना, समय पर नहीं होना या वर्षा की अपर्याप्तता लगातार बने रहना।
- भू-जल स्तर में नियमित रूप से लगातार गिरावट आना।

- पानी के अभाव में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ना और अंततः बर्बाद हो जाना।
- तालाबों एवं जलाशयों में पानी का कम होना तथा नित्य जल स्तर का गिरना।
- फसल लगाने पर प्रतिकूल स्थिति में फसल का नहीं लग पाना।

3.4 जिले में मानव प्रदत्त आपदाओं का विवरण—

सड़क दुर्घटना

समस्तीपुर जिले में सड़क दुर्घटना से संबंधित संवेदनशीलता एवं जोखिम का आकलन राज्य तथा जिले में पूर्व में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर किया जा सकता है। राज्य द्वारा तेज परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पक्का रोड घनत्व में तेजी से वृद्धि की गई है। ये नई सड़कें घनी आबादी के बीच से होकर गुजरती हैं। इन सड़कों पर दुर्घटनायें हाल के दिनों में काफी बढ़ी हैं। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग तथा मुख्य जिला सड़क में काफी वृद्धि की गई है। इन सड़कों पर बढ़ती हुई सड़क हादसा अर्थव्यवस्था, जनस्वास्थ्य एवं जनकल्याण के कार्यों पर ऋणात्मक प्रभाव छोड़ती है। समस्तीपुर में सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित आंकड़े नीचे अंकित हैं—

तालिका:-20: जिले में सड़क दुर्घटना सम्बन्धित विवरण—

क्रम सं०	प्रखण्ड का नाम	2020	2021 (Sep,2021)*	कुल
1	समस्तीपुर	8	8	16
2	ताजपुर	13	7	20
3	मोरवा	8	2	10
4	खानपुर	2	2	4
5	सरायरंजन	9	6	15
6	पूसा	3	2	5
7	वारिसनगर	4	1	5
8	कल्याणपुर	13	5	18
9	रोसड़ा	4	10	14
10	हसनपुर	5	0	5
11	बिथान	1	1	2
12	शिवाजीनगर	0	1	1
13	सिंधिया	4	3	7
14	बिभूतिपुर	8	3	11
15	दलसिंगसराय	13	1	14
16	उजियारपुर	10	9	19
17	विद्यापतिनगर	6	2	8
18	पटोरी	5	1	6
19	मोहनपुर	1	0	1
20	मोहिउद्दीननगर	4	4	8
Total		121	68	189

झूबने की घटना

जिले में समुदाय के जारूकता के आभाव में नदी, तालाब, पोखर, एवं गड्ढों में झूबने की घटना होती रहती है जिस कारण मानव की क्षति होती है। आंकड़े के अनुसार देखा जाय तो वर्ष 2020 में झूबने से 208, वर्ष 2021 में 223 एवं वर्ष 2022 में 124 मानव की क्षति हुई है। झूबने की घटनाओं को कम करने एवं बचाव हेतु समुदाय को प्रश्नाक्षण एवं जागरूक करने की आवश्यकता है।

क्रम सं०	प्रखण्ड का नाम	2020	2021	2022	कुल
1	समस्तीपुर	11	17	11	39
2	ताजपुर	3	3	2	8
3	मोरवा	6	16	8	30
4	खानपुर	9	14	4	27
5	सरायरंजन	7	13	3	23
6	पूसा	8	1	2	11
7	वारिसनगर	3	6	4	13
8	कल्याणपुर	26	14	16	56
9	रोसड़ा	16	7	5	28
10	हसनपुर	7	14	8	29
11	बिथान	10	14	7	31
12	शिवाजीनगर	7	3	6	16
13	सिंधिया	16	12	4	32
14	बिभूतिपुर	20	19	8	47
15	दलसिंगसराय	10	15	3	28
16	उजियारपुर	16	23	16	55
17	विद्यापतिनगर	11	5	4	20
18	पटोरी	8	7	1	16
19	मोहनपुर	5	13	7	25
20	मोहिउद्दीननगर	9	7	5	21
Total		208	223	124	555

3.5 जिला का संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण

किसी भी व्यक्ति, प्रशासन या समूह की क्षमता आपदा का सामना करने या किसी भी आपदा से त्वरित उबरने में समय लगता है जिसे हम संवेदनीलता के सन्दर्भ में परिभाषित कर सकते हैं। जिले की संवेदनीलता विशेष रूप से जिले में किसी भी संभावित आपदा के अनुमान, उसका सामना, उससे बचने तथा उबरने की क्षमता के आधार पर निर्धारित होता है। आजीविका के सीमित अवसर, प्रति व्यक्ति आय

में कमी, अव्यवस्थित एवं अविकसित संरचना तथा अनियोजित विकास, अव्यवस्थित एवं तीव्र शहरीकरण, जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर प्रचलित सामाजिक ढांचे तथा पर्यावरण क्षरण आदि जिले को बहुआपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

भूकम्प के दृष्टि से संवेदनशील भवन:-

आपदा के दृष्टि से भौतिक संवेदनशीलढांचागत निर्माण की गुणवत्ता के मानकों के आधार पर देखा जाता है। अगर भूकम्प को दृष्टिगत रखते हुए जिले में समस्त भवन आपदारोधी निर्मित है, तो वे क्षमतावान की श्रेणी में आयेंगे और यदि जर्जर या भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित नहीं हैं तो वे भवन भौतिक संवेदनशील के अन्तर्गत आते हैं। किसी भी प्रकार का ढांचा संबंधित निर्माण अगर आपदाओं के प्रभाव को झेलने में कामयाब होता है, तो वह रेजिलिएन्स ढांचा माना जायेगा और जो भवन किसी भी प्रकार के आपदाओं को झेलने में सक्षम नहीं है तो वे भौतिक संवेदन”ीलता के अन्तर्गत आयेंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 1934 के भूकंप को सर्वाधिक खतरनाक मानते हुए एक बहुत अध्ययन कराया है। इसमें 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए साथ ही वर्तमान में मकानों की संख्या का आकलन करते हुए यह जानने की कोशिश की गई है कि अगर समस्तीपुर जिले में 1934 के स्तर का भूकंप आये तो दिन या रात के समय में किस स्तर की क्षति की संभावना बनती है। इन पुनरावृत्ति की काल्पनिक क्षति नीचे की सारणी में देखा जा सकता है।

प्रखंडवार भूकंप के काल्पनिक क्षति का आकलन (1934 के संदर्भ में):

District (Seismic Zone IV)	Number of Census houses of different Types and their Vulnerability						Number of Houses (N) under various Damage Grades				Estimated Damages			
	nA (H)	nB(M)	nC1 (L)	nC2 (L)	Type X (VL)	Total	NG5	NG4	NG3	NG2	Loss of Human Lives		Re- construc- tion	Repairing
											Unfavo- rable	Favo- rable		
Samastipur	170,612	510,891	8,890	6,801	331,703	1,028,897	17,061	179,048	397,533	101,198	7,237	2,244	196,109	498,731
Kalyanpur	7,848	32,459	685	366	35,282	76,640	785	9,132	25,038	6,246	361	112	9,917	31,284
Warisnagar	6,361	24,059	310	136	19,958	50,824	636	7,177	18,566	4,420	286	89	7,813	22,986
Shivaji Nagar	4,511	29,330	381	309	15,126	49,657	451	6,316	22,405	5,255	241	75	6,767	27,660
Khanpur	4,218	18,274	423	133	24,412	47,460	422	4,991	14,077	3,474	197	61	5,413	17,552
Samastipur	11,230	52,096	653	873	19,141	83,993	1,123	13,632	40,067	9,801	534	166	14,755	49,868
Pusa	5,935	19,241	276	108	8,556	34,116	594	6,375	14,914	3,619	256	79	6,969	18,534
Tajpur	8,411	20,525	293	193	7,459	36,881	841	8,361	16,073	4,074	342	106	9,202	20,147
Morwa	6,183	23,954	239	223	15,628	46,227	618	7,033	18,475	4,403	279	87	7,651	22,879
Patori	9,614	19,727	192	255	8,634	38,422	961	9,183	15,561	4,015	379	118	10,145	19,576
Mohanpur	6,604	10,217	194	142	7,183	24,340	660	5,975	8,192	2,280	250	78	6,635	10,472
Mohiuddin Nagar	9,145	19,895	306	470	12,529	42,345	915	8,848	15,685	4,252	364	113	9,763	19,937
Sarairanjan	8,626	34,783	384	513	18,521	62,827	863	9,948	26,824	6,537	394	122	10,810	33,361
Vidyapati Nagar	8,425	17,018	352	370	10,380	36,545	843	8,021	13,468	3,726	332	103	8,863	17,194
Dalsingsharsi	10,260	23,396	842	213	14,130	48,841	1,026	10,035	18,422	5,070	412	128	11,061	23,492
Ujiarpur	14,491	34,138	626	694	22,668	72,617	1,449	14,282	26,822	7,198	586	182	15,731	34,020
Bibhutpur	16,376	38,499	992	555	24,807	81,229	1,638	16,132	30,257	8,163	662	205	17,770	38,420
Rosera	6,569	28,822	445	392	15,691	51,919	657	7,809	22,193	5,444	307	95	8,466	27,637
Singhia	7,721	26,081	424	307	16,963	51,496	772	8,399	20,213	5,039	337	104	9,171	25,252
Hasanpur	11,490	25,327	460	413	18,535	56,225	1,149	11,150	19,944	5,316	459	142	12,299	25,260
Bitan	6,594	13,050	413	136	16,100	36,293	659	6,251	10,337	2,864	259	80	6,910	13,201

Type-A: Mud/Un-burnt Brick, Stone not packed with Mortar, Stone Packed with Mortar.
 Type-B: Burnt Brick
 Type-C1: Wood
 Type-C2: Concrete
 Type-X: Grass/ Plastic/ Bamboo etc, Plastic/ Polythene, G.I./ Metal/ Asbestos sheets and ‘any other material’.

Damage grades : Classification of Damage to Buildings

- **G5** : Grade 5 - *Total damage* (Total collapse of the buildings)
- **G4**: Grade 4 - *Destruction* (Gaps in walls; parts of buildings may collapse; separate parts of the buildings lose their cohesion; and inner walls collapse.)
- **G3** : Grade 3 - *Heavy damage* (Large and deep cracks in walls and plaster; fall of chimneys)
- **G2** : Grade 2 - *Moderate damage* (Small cracks in walls and plaster; Fall of fairly large pieces of plaster; Pantiles slip off; Cracks in chimneys; Parts of chimney fall down)
- **G1** : Grade 1 - *Slight damage* (Fine cracks in plaster; fall of small pieces of plaster)

Source: Damage scenario under hypothetical recurrence of 1934 earthquake intensities in various districts in Bihar, August 2013, BSDMA, Patna

जलवायु परिवर्तन

गरीब एवं सीमांत किसान किशनगंज जिले में प्रायः शीतलहर, मौसमी बाढ़ आदि जलवायु जनित खतरों से प्रभावित होते रहते हैं। मानसून की भारी बारिश से प्रेरित बाढ़ ने केवल खड़ी फसलों को ही क्षति नहीं पहुँचायी है अपितु मानव एवं पशुधन को भी जानलेवा नुकसान पहुँचता है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में सतत परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप छोटी जोत वाले किसान, पूँजी की कमी वाले लोग, परम्परागत कृषि यंत्र का उपयोग करने वाले, अल्प समर्थन कृषि मूल्य पाने वाले एवं फसल बीमा सुरक्षा से बाहर के किसान ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं।

जोखिम :

- पशुधन के रखरखाव की समस्या।
- तापमान, वर्षा, हवा, नमी एवं अन्य जलवायु संबंधी घटकों में दीर्घकालिक बदलाव।
- इन बदलावों के साथ अनुकूलन स्थापित करने की समस्या।
- जलवायु परिवर्तन के चलते वर्षापात, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव।

जोखिम के दुष्प्रभाव:

- अत्यधिक गर्मी।
- वर्षा का परिवर्तित स्वरूप।
- भूजल स्तर में गिरावट।
- सूखा समस्या।
- कृषि और खाद्य समस्या।
- जल समस्या।
- स्वास्थ्य समस्या।
- पलायन, प्रवासन आदि।

3.6 क्षमता विश्लेषण

क्रम सं०	विभाग	संख्या एवं विवरण	अभ्युक्ति
1. अभियांत्रिकीय (Engineering)			
1.1	लघु सिंचाई विभाग	नलकूप-437	
1.2	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल	प्रमुख नदी-06 (गंगा, वाया, नून, बागमती, करेह, बुढ़ी गंडक) उप नदी-03 (जामवारी, बलान, शांति नदी) तटबन्ध-	
1.3	विद्युत विभाग	कार्यपालक अभियंता-07 सहायक कार्यपालक अभियंता (ए०ई०ई०)-13 जूनियर इंजिनियर (जे०ई०)-47 इलेक्ट्रिसीयन-04 आई०टी०मैनेजर-01 सहायक आई०टी०मैनेजर-07	
1.4	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण प्रमण्डल, समस्तीपुर- 1. कार्यपालक अभियंता-01 2. सहायक अभियंता-03, 3. कनीय अभियंता-06 4. वरीय प्रमंडलीय लेखा पदा०-01 5. वरीय लेखा लिपिक-03 6. निम्नवर्गीय लिपिक-01 7. पत्राचार लिपिक-04 8. अमीन-01 9. पथ श्रमिक-07 10. अनुसेवक-12 11. सहायक खानसामा-01 12. चौकीदार-02 13. प्रयोगशाला सेवक-01 14. दफादार-01 15. पथ बेलन खलासी-01 16. कार्यपालक सहायक-01	पथ निर्माण प्रमण्डल, रोसड़ा- 1. कार्यपालक अभियंता-001 2. सहायक अभियंता-02, 3. कनीय अभियंता-04 4. प्रमंडलीय लेखा पदा०-01 5. सहायक शोध पदा०-01 6. पत्राचार लिपिक-04 7. नील मुद्रक-01 8. अनुसेवक-07 9. टोल अनुसेवक-03 10. टोल वैरियर ऑपरेटर-02 11. कोष रक्षक-01 12. चौकीदार-02
1.5	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण		<ul style="list-style-type: none"> चापाकल अधिष्ठापन- 250 प्रस्तावित चापाकल मरम्मतीकरण-4500 प्रस्तावित चापाकल राईजिंग-प्रस्तावित अस्थाई शौचालय -प्रस्तावित क्लोरीनेशन- प्रस्तावित
1.6	बी०एस०एन०एल०	06456-222900(कार्यालय) 222555 (आवास) 226000 (फैक्स)	
2. गैर अभियांत्रिकीय (Non- Engineering)			

क्र०	विभाग का नाम	संख्या व विवरण	अभियुक्ति
2.1	जिला प्रशासन	जिला समाहरणालय में कार्यरत मानव संसाधन की संख्या— 1. आशुलिपिक—स्वीकृत बल—14, कार्यरत—01 2. प्र० लिपिक—स्वीकृत बल—64, कार्यरत—27 3. लिपिक—स्वीकृत बल—292, कार्यरत—273 4. राजस्व कर्मचारी—स्वीकृत बल—381, कार्यरत—243 5. जनसेवक—250, कार्यरत—37 6. वाहन चालक—स्वीकृत बल—51, कार्यरत—31 7. कार्यालय परिचारी—274, कार्यरत—137	
2.2	स्वास्थ्य विभाग	जिला अस्पताल की संख्या — 01	
		अनुमंडलीय अस्पताल की संख्या — 04	
		प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या —09 PHC 11 CHC	
		अतिरिक्त प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या—55	
		स्वास्थ्य उपकेन्द्र—360	
		रेफरल अस्पताल—01	
		कुल चिकित्सक की संख्या— सामान्य MBBS- 98 विषेषज्ञ —57 RBSK-58(संविदा) आयुष—50(संविदा)	
		कुल ए०एन०एम० की संख्या—660 (स्थाई) —342 (संविदा)	●
		नर्स — ग्रेड 'ए' —215 ग्रेड 'ए' संविदा —70	
		आशा कार्यकर्त्री—3894	
		ममता—	
		फार्मासीस्ट—20	
		स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की संख्या—	
		स्वास्थ्य कार्यकर्ता की संख्या—10	
		बी०ए०सी०—20	
		बी०सी०ए०म० —17	
2.3	समाज कल्याण विभाग—आईसीडीएस	कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या—4945	
		कार्यरत सीडीपीओ—13	
		कार्यरत सुपरवाइजर—99	
		कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री—4846	
		कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका—4514	
2.4	राज्य खाद्य निगम	राज्य खाद्य निगम के द्वारा स्थापित गोदामो की सं०—18	

			विद्यालय	वर्तमान में संख्या	निर्माण हेतु अनुमोदित
2.5	शिक्षा विभाग	कुल विद्यालय—	प्राइस्कूल की संख्या	1537	
			मार्गिवि	990	31 तिरिक्त वर्ग कक्षा
			राइहाइस्कूल	403	
			मेडिकल कालेज	0	1
			पालीटेक्निक कालेज	2	
			संस्कृत उभिवि	17	
			हरिजन उभिवि	2	
			नवोदय वि	1	
			गल्स मूर्गिवि	1	
			राइक०उभिवि	5	
			प्रो० कुल उभ०मार्गिवि	8	
			राइहाइ		
			केन्द्रिय वि	2	
		कुल कर्मचारियों की सं०—			
2.6	पंचायती राज विभाग	कुल मुखिया की संख्या—346			
		कुल सरपंच की संख्या—346			
		कुल पंचायत समिति की संख्या—20			
		जिला परिषद सदस्य की संख्या—50			
		जिला परिषद अध्यक्ष— 01			
2.7	परिवहन विभाग	स्थित हैलीपैड की संख्या—०			
		ट्रैक्टर—4873			
		बस—144			
		मिनी बस—08			
		जै०सी०बी०—115			
		एम्बुलेन्स—27			
2.09	पशुपालन विभाग	मोबाइल टीम—01			
		चिकित्सक की संख्या—37			
		पैरा मेडिकल कर्मी—11			
		बाढ़ / सुखाड़ राहत पशु शिविर केन्द्र —08			
		बाढ़ / सुखाड़ राहत उपकेन्द्र —76			
		पशु चिकित्सालय—40			
		पशु औषधालय—०			
2.10	जिला आपूर्ति विभाग	सार्वजनिक जन वितरण केन्द्र—2143			
2.11	जिला जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग	जिला में कुल 05 मिडिया के कार्यालय अवस्थित हैं।			

2.12		जिला में सिनेमाघरों की संख्या—	1.
3. खोज, राहत एवं बचाव			
3.1	अग्नि"मन विभाग	कुल कर्मचारी की संख्या—61	प्रभारी—01 प्रधान चालक—01 प्रधान अग्निक—03 अग्निक सिपाही—24 अग्निक चालक—29
		हीकल पोर्टबुल पम्प—23	
		फायर इंजन—22	
3.2	आपदा प्रबन्धन विभाग	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र— 01	समाहरणालय में अवस्थित है।
		प्रशिक्षित गोताखोर—113	
		जिले में राहत केन्द्र—139	
		सार्वजनिक नावे—432	अंचल स्तर पर उपलब्ध नावे की संख्या निम्न है—432 1.
		इन्फलैटेबुल मोटर वोट की संख्या—10 (परिचालन योग्य—05, मरम्मत योग्य—05)	जिला मुख्यालय एवं अंचल स्तर पर मौजूद इन्फलैटेबुल मोटर वोट की संख्या का विवरण निम्न है:— 1. मुख्यालय—08 2. अनुमंडल —02
3.3	गृह रक्षक	महाजाल—04	
		लाइफ जैकेट—94	
		मोटरवाट चालकों की संख्या—08	
		प्रशिक्षित गोताखोरों की संख्या—06	

उपलब्ध संशाधन

क्र ०	अंचल का नाम	देशी नाव			इन्फलैटेर ल मोटरबोट की संख्या	पॉलीथीन शीट्स	टेन्ट की सं0	महाजा ल की सं0	लाईफ जैकेट की संख्या	इन्फलैटेर बल लाईलि ग सिस्टम की संख्य ा	जी० पी०ए स० सेट की संख्य ा	मोटर बोट ड्राइ वर की सं0	प्रशिक्षि त गोता खोर की सं0	खोज बचाव एवं राहत दलों की संख्या	चिन्हि त शरण स्थलों की संख्या	
		सरकारी नावों की संख्या		निजा० नावा का साथ्या जिनक साथ एकत्रास्ता किया गया है।												
		परिचालन योग्य मरम्मति योग्य	परिचालन योग्य मरम्मति योग्य	उपलब्ध पॉलीथीन शीट्स का संख्या	जिला से अधियाचित नोडल जिला से अधियाचित पॉलीथीन शीट्स की संख्या											
1	समस्तीपुर	0	3	3	0	0	15	500	0	0	0	0	0	2	2	3
2	पूसा	0	0	5	0	0	90	200	0	0	2	0	0	4	13	13
3	सरायरंजन	0	0	8	0	0	150	0	0	0	0	0	0	10	5	10
4	ताजपुर	-	-	3	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1	2	2
5	वारिसनगर	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	5	5	4
6	मोरवा	0	0	27	-	-	50	5000	0	0	0	0	0	16	18	15
7	कल्याणपुर	0	0	125	0	0	50	2000	0	0	4	0	0	6	18	13
8	खानपुर	0	5	16	0	0	300	1000	0	0	0	0	0	2	7	7
9	रोसड़ा	0	0	3	0	0	20	0	0	0	2	0	0	8	0	4
10	सिंधिया	0	5	22	0	0	500	1000	0	0	0	0	0	16	16	9
11	प्रावाजीनगर	0	0	1	0	0	400	0	0	0	1	0	0	0	2	5
12	विभूतिपुर	0	0	4	0	0	400	500	0	0	0	0	0	10	7	7
13	बिथान	0	0	10	0	0	809	0	0	0	4	0	0	0	5	13
14	हसनपुर	0	0	5	0	0	500	0	0	0	5	0	0	0	3	2
15	दलसिंहसराय	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	5	8	0
16	विद्यापतिनगर	3	1	32	0	0	400	0	0	0	0	0	0	11	7	4
17	उजियारपुर	0	0	2	0	0	50	0	0	0	8	0	0	2	1	2
18	पटोरी	0	0	4	0	0	50	400	0	0	0	0	0	4	4	8
19	मोहिउद्दीननगर	3	0	92	0	0	22	10000	0	0	0	0	0	6	11	3
20	मोहनपुर	1	0	70	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	5	5	38
21	अनुमंडल समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0	0	0	0	0
22	अनुमंडल रोसड़ा	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	8	0	0	0	0	0
23	अनुमंडल दलसिंहसराय	0	0	0	0	2	0	0	0	1	15	0	0	0	0	1
24	अनुमंडल पटोरी	0	0	0	0	0	600	0	0	1	10	1	0	0	0	-
25	जिला मुख्यालय	0	0	0	5	3	17135	25000	0	1	12	1	0	0	0	0
कुल-		7	14	432	5	5	28081	47900	0	4	94	2	0	113	139	163

प्रशिक्षित मानव संसाधन की विवरणी—

क्रमांक	मानव संसाधन का विवरण	संख्या
1	प्रशिक्षित गोताखोर	253
2	नाविकों एवं नाव मालिकोंके प्रांगण हेतु मास्टर ट्रेनर	05
3	प्रशिक्षित पशु चिकित्सक	13
4	प्रशिक्षित पशुधन सहायक	13
5	प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर मुखिया एवं सरपंच	40
6	जीविका के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर	05
7	प्रांगित मास्टर ट्रेनर्स पंचायत संसाधन केन्द्र के पदाधिकारी	08
8	भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रांगित अभियंता	43
9	भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रांगित राज्यमिस्त्री	565

अध्याय:4—संस्थागत ढाँचा (Institutional Arrangement)


आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपदा के पूर्व, दौरान और बाद की स्थिति का प्रभावी प्रबंधन हो सके, इसके लिए संस्थागत ढाँचा का प्रावधान किया गया है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये संस्थायें राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर चिह्नित की गई हैं। अधिनियम द्वारा सभी संस्थाओं के कार्यकलाप तथा उनको दिये गये कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तदनुसार इसका समयबद्ध क्रियान्वन करने, सभी विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए सामर्थ्यवान संस्थाओं द्वारा जोखिम शमनीकरण, न्यूनीकरण, अवशेष जोखिम के लिए प्रत्युत्तरतथा पुनर्स्थापन इत्यादि कार्य के लिए समग्रता का दृष्टिकोण (Holistic Approach) अपनायाजाना अनिवार्य है। जिस के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, समुदायाधारित संस्थायें, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के साथ ही बड़े औद्योगिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य सम्पादित करेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन/विकास कार्यों के सक्रिय संचालन हेतु गांव, ग्राम पंचायत, प्रखण्ड, अंचल, अनुमण्डल एवं जिला एक समेकित प्रशासनिक तंत्र के रूप में गठित है।

4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्तीपुर

समस्तीपुर में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। आपदा प्रबंधन विभाग, पटना, बिहार द्वारा दिनांक—13/6/2008 जारी अधिसूचना पत्रांक संख्या 1 प्रा0आ0—16/2008/1502 अधिसूचना में वर्णित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद द्वारा प्रत्येक जिले के लिए ‘जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण’ का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2), (3), (4), में डी.डी.एम.ए. के सदस्यों का विवरण यथा विर्णिर्दिष्ट है—

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1	जिला पदाधिकारी	पदेन अध्यक्ष
2	अध्यक्ष जिला परिषद	सह-अध्यक्ष
3	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	पदेन सदस्य
5	उप विकास आयुक्त	पदेन सदस्य
6	अपर समाहर्ता—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	पदेन सदस्य
7	जिला के वरीयतम अभियंता	पदेन सदस्य

2. अपर समाहर्ता—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।
3. अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विर्णिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।



चित्र- डी.डी.एम.ए. समस्तीपुर का ढांचा

जिला पदाधिकारी ही सभी आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु नित्य कार्वाईयों एवं राहत अनुदान सहायता के लिए जबाबदेह पदाधिकारी होंगे और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिले के सभी विभागों के बीच समन्वयन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान की गयी है। जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जबाबदेह हितभागियों में पुलिस, पैरा मिलिट्री, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक, अनिशमन सेवा, पूर्व सैनिक, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मीडिया आदि संगठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रत्युत्तर, राहत एवं पुनर्वास के लिए जिले में सुव्यवस्थापित सांस्थानिक एवं नीति निर्माण तंत्र कार्यरत हैं। ये तंत्र अभी तक इन कामों में मजबूत एवं प्रभावी साबित हुए हैं।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्यः

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4, धारा 30, उपधारा (1)जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा आधिकथित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना:-

- (i) जिले के लिए जिला मोर्चन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा।
- (ii)राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय एवं मानीटर कर सकेगा।
- (iii)यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं।

- (iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उनके प्रभावों के शमन, तैयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकारों के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।
- (v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।
- (vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा।
- (vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।
- (viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।
- (ix) खंड(viii)में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।
- (x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं को पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हो।
- (xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबंधित विभागों या संबंधित प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों की अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निदेश दे सकेगा।
- (xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और समन्वयन कर सकेगा।
- (xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कायक्रमों को सुगम बना सकेगा।
- (xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।
- (xv) जिला स्तर मोचन योजना, और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।
- (xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।
- (xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।
- (xviii) जिला स्तर पर संबंधित सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा।
- (xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों को समन्वयन कर सकेगा।
- (xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और निर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबंधित प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा।

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान करे सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा।

(xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा।

(xxvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्सहित कर सकेगा।

(xxviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही है।

(xxix) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं।

4.2 पंचायतें—

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीणविकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप-2030 में ‘रेजिलियेंट विलेज’ की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर “फर्स्ट रिस्पॉडर” मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। इनके द्वारा निर्मित संरचनायें इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम तथा आपदा सहग्राम/शहर/स्कूल/ अस्पताल इत्यादि की कल्पना से युक्त होंगे। खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होनेवाले समूह/समुदाय तक इस चेतावनी सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचाने में ये प्रमुख भूमिका वहन करेंगे। चूंकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इसके लिए पंचायत के सहयोग हेतु (Panchayat Support Functionary) समितियों को आपदा न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर (रिस्पॉस) तथा पुर्ववासन (Recovery) के कार्य में लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायत तदनस्वरूप पंचायती राज अधिनियम में वर्णित सभी छ: समितियों का गठन करेंगी ताकि उसके द्वारा पंचायत के अंदर आने वाले गाँवों में उपस्थित जोखिम को न्यून करेंगी एवं उसके द्वारा पंचायत में उपस्थित संसाधन से मानव एवं प्राकृतिक आपदायें का प्रबंधन किया जा सकेगा। इससे आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद में पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगी। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें ‘मास्टर ट्रेनर्स’ बनाया है। पंचायतों से यह अपेक्षा है कि वे प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग कर पंचायती राज को सुदृढ़ संस्थान के रूप में स्थापित करेंगी। जिले में सुदृढ़ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है।

4.3 समुदाय आधारित संगठन :

- **नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)**

नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित है। आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा गया। नागरिकसुरक्षा निदेशालय राज्य मुख्यालय में स्थापित है जिसका प्रधान भारतीय पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी होते हैं जिसेपुलिस महानिरीक्षक—सह—आयुक्त, नागरिक सुरक्षा के पदनाम से जाना जाता है। अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र—सह—आपदा नियंत्रण कक्षः

आपदाओं के दौरान त्वरीत कार्रवाई करने, समन्वित ढंग से कार्य करने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच सूचनाओं के त्वरित एवं प्रभावी ढंग से आदान—प्रदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्तीपुर जिला अन्तर्गतजिला स्तर पर जिला आपातकालीन संचालनकेन्द्र (DEOC)की स्थापना की गई है तथा इस केन्द्र को विभागीय पत्रांक—1982/आ०प्र०, दिनांक—10.07.2017 के आलोक में इन्हें आवश्यक उपस्कारों/सामाग्रियों से सुसज्जित एवं आधुनिक संचार उपकरणों से लैस की गई है। इस आपातकालीन संचालन केन्द्र से समस्त आपदा प्रबंधन संबंधित गतिविधियों का संचालन करने हेतु इस प्रकार तैयार किया गया है कि ये पूर्णरूपेण 24X7 क्रियानियत रहे तथा इसमें समस्त जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार, आपातकालीन परिस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा कभी भी कार्रवाई हेतु केन्द्र में बुलाया जा सकता है। साथ ही इस केन्द्र में किसी भी आपात स्थिति में जिला पदाधिकारी—सह—इनसिडेंट कमांडर स्वयं पहुँच कर विभिन्न एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक दिनांक निर्देशन जारी कर सकते हैं।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष पर किसी भी प्रकार की आकर्षिक स्थिति उत्पन्न होने पर सभी प्रकार के मानक एवं मानदण्डों के अनुरूप प्रक्रिया तथा सामाग्रियाँ सदैव तैयार रहनी चाहिए। कुछ प्राकृतिक आपदाओं जिसकी पूर्व चेतावनी की सूचना संभव होती है उन आपदाओं की पूर्व चेतावनी की सूचना प्राप्त होने पर उस आपदा के अनुरूप आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष अपने जिला पदाधिकारी या अन्य संबंधित पदाधिकारियों को उनके संसाधनों के साथ गतिशील किया गया है।

यहकेन्द्र इस प्रकार से विकसित किया है, कि किसी भी आपातकालीन परिस्थितिमें यह 24X7(चौबीस घण्टे एवं सातों दिन) क्रियानियत रहेगा और समस्त परिस्थितियों में सूचनाओं का संकलन, चेतावनी एवं सूचना के प्रसार हेतु तत्पर रहेगा। वर्तमान में इस आपातकालीन संचालन केन्द्र में 8 घण्टे की रोस्टर पर तीन—तीन कर्मियोंको इस प्रकार तैनात किया गया हैकि DEOC 24X7 संचालित रहे एवं कर्मियों को देय छुट्टी भी उन्हें दी जा सकें। जिसमें तीन कम्प्यूटर प्रोग्रामर, तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा तीन आईटी०ब्यॉय हैं, जिनका दायित्व इस प्रकार है:—

- कम्प्यूटर प्रोग्रामर** :— जो DEOC का तकनीकी कार्य, संबंधित विभागों/एजेन्सियों, जिला एवं क्षेत्रीयपदाधिकारियों के साथ सूचनाओं का आदान—प्रदान, प्राप्त आंकड़ों का संकलन, संधारण एवं विवेचन का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी भी इनकी होगी।
- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर** :— जो डाटा इन्ट्री का काम करेंगे। साथ ही कम्प्यूटर प्रोग्रामर को उनके कार्यों में सहयोग करेंगे।
- आईटी० ब्यॉय** :— जो दूरभाष, फैक्स, फोटो कॉपी आदि का कार्य करेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र :— विभागीय पत्र—1982/आ०प्र० दिनांक—10.07.2017 के आलोक में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभावी संचालन हेतु उपर्युक्त

नौ कर्मियों के अतिरिक्त एक पदाधिकारी जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। किसी भी आपदा के दौरान आपातकालीन घटना की पूर्ण जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने पर वे इसकी सम्पुष्टि आधिकारिक तौर पर करेंगे तथा इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी एवं राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी को देंगे। DEOC को प्राप्त सूचना एवं घटना का अभिलेखन संबंधित पंजी में दर्ज करायेंगे एवं त्वरीत कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित करेंगे साथ ही निर्बाद्ध संचालन सुनिश्चित करायेंगे।

लिपिक :-विभागीय पत्र-1982/आ०प्र० दिनांक-10.07.2017 के आलोक में कार्यालय कार्य हेतु दो लिपिक के माध्यम से संचिकाएं/अभिलेखों आदि का संधारण एवं रख-रखाव तथा प्रभारी पदाधिकारी, के द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करेंगे।

जब तक प्रभारी पदाधिकारी,जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र एवं लिपिक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तबतक के लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से जिला में उपलब्ध किसी वरीय पदाधिकारी को जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी प्रदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करेंगे। इसी प्रकार दो लिपिकों की भी प्रतिनियुक्ति जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में किया जाय, ताकि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को तत्काल प्रभाव से क्रियानिवारण किया जा सके।

तैनात अधिकारी एवं कर्मचारियों का दायित्व :

- जिले में आपदाओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन।
- प्राप्त सूचनाओं का समय-समय पर अद्यतनीकरण।
- प्राप्त सूचना को सूचना रजिस्टर में दर्ज करना, साथ ही संबंधित अधिकारी को उक्त सूचना से अवगत कराते हुए प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं अपर समाहर्ता को भी अवगत कराना।
- प्राप्तसूचना को संबंधित अधिकारी द्वारा वार्ता कर उक्त सूचना के आधार पर की गयी कार्रवाई को सूचना रजिस्टर में दर्ज करना।
- बाढ़/अतिवृष्टि/वज्रपात/”गीतलहर/ओलावृष्टि/चक्रवातीतूफान/लू(Heatwave)/अगलगी/नाव दुर्घटना/पानी में डुबने की घटना/भूकम्प एवं अन्य आपातकालीन के दौरान निम्न सूचनायें, दर्ज करेंगे तथा प्रभारी पदाधिकारी,DEOC से सत्यापित कराना :-
 - केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी बाढ़ दैनिक प्रतिवेदन के आधार पर नदियों के जल स्तर (बढ़ाव/घटाव/स्थिर) की जानकारी।
 - प्रत्येक अंचल तथा मौसम विभाग वर्षा अभिलेख एवं तापमान अभिलेख।
 - अंचलों द्वारा तैयार किये गए आपदाओं के क्षति का विवरण।
 - प्रभावित ग्राम,ग्राम पंचायत, अंचल एवं अनुमंडल तथा प्रभावित क्षेत्र (हैक्टेयर में) का विवरण।
 - राहत एवं बचाव टीम द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों का विस्तृत विवरण।
 - संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रों का विवरण।
 - प्रत्येक संचालित राहत केन्द्र में आपदा प्रभावित परिवार को सहायता हेतु दिये गये राहत पैकेट,रान, दवाई,बर्तन, कपड़ा या अन्य का पूर्ण का विवरण।
 - आपदा प्रगति एवं अंचलों के भण्डार में स्थित मोटर बोट, सरकारी नाव, निजी नाव, नाविक, गोताखोर, लाईफ जैकेट, रस्सी व कुण्डा एवं महाजाल का पूर्ण विवरण।
 - प्रत्येक अंचल में वितरित सहाय्य रानी का प्रतिवेदन पूर्ण विवरण सहित।

- प्रत्येक दिवस सायंकाल 04:00 बजे अपर समाहर्ता पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी आपदाद्वारा सत्यापित आपदा बुलेटिन (बाढ़, चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि, भूकम्प, अगलगी आदि) जारी किया जाना ।
- मृतकों/घायलों/लापता व्यक्तियों का विवरण (उम्र, लिंग एवं रोजगार) ।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष में आव"यक अनिवार्य सुविधायें:

DEOC/आपदा नियंत्रण कक्ष के अन्तर्गत अबाधित विधुत आपूर्ति, वायरलेस सेट, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्ट"न, टेलीविजन, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर म"ीन, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्पर्क विवरण, पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने एवं कार्य संपादन हेतु आव"यक सामग्री, "चौचालय, पेयजल, पर्याप्त स्टेनरी, डिस्प्ले बोर्ड, टेलीफोन डाइरेक्टी, मानचित्र इत्यादी सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।

पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसार प्रक्रिया:

मौसम विभाग अथवा अन्य विभागों द्वारा संभावित/घटित आपदा से संबंधित प्राप्त सूचना के आधार पर समस्त हितभागियों एवं आम जनता के लिए DEOC से चेतावनी जारी किया जायेगा। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रक्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष (अनुमण्डल/प्रखण्ड/अंचल/ग्राम पंचायत), राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र से सीधे जुड़ा होगा।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र का प्राथमिक कर्तव्य समय पर सही पूर्व सूचना/चेतावनी जारी करना है। पूर्व सूचना/चेतावनी प्रभावी रूप से जारी करने के लिए जिला आपातकालीन केन्द्रके पास सुनियोजित संचार व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। जिला पदाधिकारी/नामित पदाधिकारी चेतावनी जारी करने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे। निम्नलिखित संस्थाओं/अधिकारीयों को चेतावनी की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये—

- आयुक्त कार्यालय।
- जिला पदाधिकारी कार्यालय।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को।
- अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारियों को।
- अंचल/प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों को।
- पड़ोसी जिलों के जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष की सामान्य समय में भूमिका

- आपदा और संवेदन"ीलता से संबंधित आंकड़ों व जानकारियों का संकलन तथा सम्बन्धित जिला स्तरीय विभागों व हितभागियों के साथ साझा करना तथा आपदा के समय उपर्युक्त को प्रयोग में लाना।
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्मित विभिन्न पोर्टलों पर डाटा का अद्यतन करना।
- वेब आधारित तकनीकके आधार पर संसाधनों का प्रबंधन।
- आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधनों के लिए निवेदन करना।
- सुनिँचत करना कि सभी आव"यक यंत्र चालू अवश्य में हों।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का उचित क्रियान्वन।

क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष

क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष आपदा स्थल के समीप स्थापित किया जायेगा जो जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के साथ जुड़कर काम करेगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य उत्तरदायी होंगे तथा कमांडर इन चीफ की भूमिका में घटनाओं का नियंत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित करेंगे।

जिला इन्सिडेंट कमांडर जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के निर्देशानुसार

क्षेत्रीय कमांडर अपने स्थानीय प्रबन्धन टीम के सहयोग से समन्वय के साथ कार्य को संचालित करेगा। क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष किसी आपदा के समय ही सक्रिय होगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी आपदा स्थल पर सभी गतिविधिया निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन समस्त कारवाई नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र से नियंत्रित और समन्वित किये जायेंगे। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्रीय नोडल अधिकारी स्थानीय प्रबन्धन टीम के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य संचालित करेंगे। क्षेत्रीय नोडल अधिकारी सभी गतिविधियां जिम्मेदारी के साथ निष्पादित करेंगे साथ ही समर्पादित कार्यों से जिला पदाधिकारी/नोडल अधिकारी, आपदा प्रबन्धन को अवगत करायेंगे।

आपदा के अनुसार क्रिया”गतिता का स्तर:


सामान्यतः किसी घटना के सम्बन्ध में सूचनाये हमें”ग उनके घटने के बाद प्राप्त होती है। बिना किसी पूर्व सूचना के आपदा घटित होने की दृश्यमान स्थानीय पदाधिकारी या जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी को स्थिति के अनुसार सूचित करते हुए जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र या राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचना दी जायेगी। इन आपातकालीन संचालन केन्द्रों द्वारा आवश्यकतानुसार आपदा बचाव दल एवं बचाव सामग्री आदि की तैनाती की जायेगी। इस संदर्भ में अपने से उच्च अधिकारियों को सूचना का आदान-प्रदान करेंगे। इस आदान-प्रदान के आधार पर तत्काल कार्ययोजना का निर्माण कर उसका अनुपालन करते हुए घटना के प्रति प्रत्युत्तर कार्रवाई किया जायेगा।

4.4 समन्वय तंत्र(जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण):—

पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारण एक सचेत करने का माध्यम होता है जिसको प्रसारित करने के लिए वर्तमान में बहुतायत माध्यम प्रयोग में लाये जाते हैं। पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारण के लिए समस्तीपुर जिले में बहुतायत स्त्रोतों में से निम्न माध्यमों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे—टेलीफोन, मोबाईल फोन, सेटेलाईट फोन, सोशल मिडिया, ई-मेल, रेडियो, टेलिवीजन, हैण्ड ऑपरेटिंग/इलेक्ट्रॉनिक साइरन, मार्झिकिंग आदि।

उपर्युक्त प्रणाली को सफल एवं प्रभावी करने हेतु समुदाय स्तर पर समुदाय में टास्क फोर्स के लोगों को प्रशिक्षित एवं संगठित करना होगा।

समय से प्राप्त पूर्व सूचना/चेतावनी समुदाय एवं प्रशिक्षित ग्रामीण कालीड टाइम”प्रदान करता है। इसके माध्यम से आपदा प्रभावित समुदाय समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुँच सकते हैं। इस तकनीकी के माध्यम से भारी मात्रा में होने वाले जन-धन की हानी को रोका जा सकता है। पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारण अधिक व्यापक और अन्तिम व्यक्ति तक जुड़ाव वाला होना चाहिए।



पूर्व सूचना गुणवत्तापरक, व्यापक और
समय से प्रसारित किया जाना चाहिए।

अध्याय: 5—आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय (Prevention, Mitigation and Preparedness Measures)

आपदा प्रबंधन व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक टीम अभ्यास है और विभिन्न संस्थानों द्वारा मिलकर बनती है जिसे हम हितभागी समझते हैं। ये हितभागी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष होते हैं। डीआरआर रोड मैप बिहार 2015–2030 में विकास एवं आपदा जोखिम में परस्पर संबंध को गहराई से विश्लेषित किया गया है। यह विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अनुपयुक्त विकास कार्रवाईयाँ आपदा के जोखिम को बढ़ाती हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन योजनाओं का एक दोहरा लक्ष्य होना चाहिये कि समाज प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की शक्ति प्राप्त करें और साथ–साथ विकास के प्रयासों से इन आपदाओं की संवेदन”ीलता में वृद्धि न हो। उपरोक्त कथन, आपदा प्रबंधन को विकास से मात्र जोड़ता ही नहीं है, साथ साथ यह भी इंगित करता है कि इनका सही अनुपालन न करना एवं गैर वैज्ञानिक विकास हाल के दिनों में समुदाय की बढ़ती संवेदन”ीलता के मुख्य कारण बन रहे हैं। आपदा विकास प्रक्रिया से पूरी तरह जुड़ी हुई रहती हैं एवं यह समाज की एक प्रकार से विकास की प्रणाली ही है, जो आपदाओं का प्रभाव एवं संवेदन”ीलता का निर्धारण करती है। चूंकि निर्विवाद रूप से सर्वांगीण आपदा प्रबंधन योजना में विकास प्रणाली का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः आपदा प्रबंधन में विकास एजेन्सियों की भूमिका स्वतः ही उत्तरदायी हो जाती है।

वर्तमान में आपदाओं के बदलते प्रभावों और उनके समाज पर प्रभावी असर को देखते हुए किसी एक मंत्रालय या विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से आपदाओं का सामना करना संभव नहीं है, अतः यह आवश्यक है, कि आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों का सामना सभी विभाग/एजेन्सियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मिल–जुल कर किया जाय। इसके अतिरिक्त चूंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण अनिवार्य हो गया है, अतः इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाने हेतु संगत कार्रवाईयों/गतिविधियों की पहचान आवश्यक है।

विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि रोकथाम, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ ही उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में आपदा निवारण, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु विभिन्न हितधारकों के कार्यों की पहचान की गयी है।

5.1 विभाग / एजेंसी का विशिष्ट कार्यः—

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए योजना, विनिर्माण कार्यान्वयन तथा समन्वयकर्ता निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधनप्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधनप्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा। विभिन्न मुख्य कार्यों का दायित्व निम्न प्रकार से होगा :—

विशिष्ट कार्य	जिम्मेवारी
रोकथाम, नियंत्रण और समन्वय	जिलाधिकारी—सह—अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्तीपुर
सूचना संग्रह, विश्लेषण तथा क्षति आकलन	जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा
संचार	जिला दूरसंचार केन्द्र (सूचना संचरण हेतु)
खोज व बचाव	पुलिस, अग्निशमन बल, परिवहन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
सहाय्य एवं शरण स्थल	जिला प्रशासन, खाद्य आपूर्ति पदा., राजस्व एवं भूमि सुधार
स्वास्थ्य सेवा	जिला स्वास्थ्य समिति
पेयजल एवं स्वच्छता	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
पशु शरणागाह एवं चारा	जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर
ऊर्जा आपूर्ति का पुनर्स्थापन	पावर होल्डिंग कम्पनी, बिहार
आधारभूत संरचना का पुनर्स्थापन	पथ निर्माण/ ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण एवं पुल निर्माण निगम
शव एवं मलवा निपटान	नगर निगम एवं क्षेत्रीय प्रगति निगम
जन संपर्क, पूर्व सूचना एवं ई.ओ.सी.मिडिया प्रबंधन	जिला जनसंपर्क कार्यालय(मिडिया को वस्तुस्थिति से अवगत कराना)
कानून एवं व्यवस्था	जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों/संभागो, पंचायतीराज संस्थाएँ, सामुदायिक स्तर की संस्थाएँ तथा निजी क्षेत्र की एजेंसियाँ भी उपरोक्त कार्यों में सहयोग दे सकेंगी। इन कार्यों में पंचायत ग्रामीण स्तर की चुनी हुई संस्था है, अतः जोखिम को रोकने, कम करने या पूर्व की तैयारी में विशेष जिम्मेवारी निर्वहन करना पड़ सकता है।

5.2 सभी विभागों एवं एजेंसियों के लिए कार्य :—

सभी संबंधित विभाग/संभाग आपदा जोखिम विषय पर समझ विकसित करेंगे तथा प्रशासन प्रणाली को सशक्त करेंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों तथा प्रभावी रिस्पॉन्स आदि विषयों को ध्यान में रखकर इस योजना हेतु कार्रवाही करेंगे।

5.3 विभागों / एजेसियों के आपदानुरूप कार्यः

1. बाढ़:-

क्र०	विभाग / संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी	
				1	2
3	4	5			
1	जल संसाधन विभाग (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल)	<ul style="list-style-type: none"> बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण। पूर्व से निर्मित किन्तु क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन। संभावित जलजमाव वाले क्षेत्रों में जल निस्सरण योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण। 	<ul style="list-style-type: none"> आपदा पूर्व संभावित बाढ़ की चेतावनी का प्रसारण। नदियों के जलग्रहण क्षेत्र से काफी अधिक मात्रा में, बाढ़ के पानी के साथ आने वाले गाढ़ को हटाने की व्यवस्था। उपरोक्त के आक्राम्य स्थलों को चिह्नित करना। क्षतिग्रस्त होने वाले संभावित जगहों को शीघ्रता से तत्परता पूर्वक समुचित संरचनाओं का निर्माण। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लोगों के बीच बाढ़ से बचाव के संबंध में आवश्यक सलाह / जानकारी का प्रचार – प्रसार। रेलवे तथा सड़क में बने हुए छोटे पुल-पुलिया के स्थल पर हो रहे जल जमाव की त्वरित निकासी की व्यवस्था। 	<ul style="list-style-type: none"> संभावित बाढ़ के संबंध में जारी निर्देशिका के आलोक में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना। अन्य बांध, नहरों, नालों, तलाबों आदि पर अतिक्रमण हटाना, इनकी साफ-सफाई करना तथा समय से पूर्व इनकी मरम्मति करा लेना। बाढ़ प्रबंधन कैलेन्डर का निर्माण। वर्षा ऋतु में नदियों के जलश्राव निगरानी हेतु "रिवर गेज" की स्थापना, दैनिक जलश्राव निगरानी तथा बाढ़ का पूर्वानुमान। आपदा पूर्व चेतावनी प्रसारित करने हेतु सूचना तंत्र का विकास एवं नियोजन। संभावित बाढ़ के दौरान इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्रीयों का चिह्नित स्थलों पर भंडारण। 	
2	भूमि सुधार एवं राजस्व			<ul style="list-style-type: none"> हेली पैड स्थल की अवस्थिति तय करना। शरण स्थल का चयन। 	
3	जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> "फ्लड प्लेन जोनिंग" करने के उपरांत नदियों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण एवं लोगों को बसने से रोकने के लिए समुचित अधिनियम बनाना एवं लागू करना। समस्त स्थानीय नावों का परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन। जिला का सम्बन्धित विभागों के सहयोग से प्रकोप, नाजुकता तथा जोखिम मानचित्र तैयार कराना। 	<ul style="list-style-type: none"> बाढ़ ग्रस्त जोन में प्राथमिकता के आधार पर आयरन रिमूवल ऊँचे हैण्ड पम्प, ऊँचे शौचालय, स्नानघर, मानव एवं पशु हेतु सभी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित ऊँचे शरण स्थल का निर्माण। जिला आपदा प्रबंधन योजना में बाढ़ से जुड़े शमनीकरण तथा न्यूनीकरण कार्य योजना का अनुश्रवण। पंचायत स्तर पर की जा रही न्यूनीकरण की गतिविधियों का अनुश्रवण करना। पंचायतीराज प्रतिनिधियों तथा बाढ़ राहत बचाव प्रशिक्षण। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को लेवल 3 डिजास्टर को ध्यान में रखते वर्तमान सुविधाओं से लैश करते हुए स्थापित करना—रिवर वाटर लेवल डिस्प्ले बोर्ड, लैण्ड लाइन टेलीफोन, समस्त आवश्यक मानचित्र तथा कम्प्यूटर एवं हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। बाढ़ प्रवण पंचायतों की सूची तैयार करना। ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड 	<ul style="list-style-type: none"> बाढ़ आपदा प्रबंधन को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभिन्न स्तरों पर हितभागियों का प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन। बाढ़ राहत प्रकोष्ठ का गठन एवं सदस्यों को आवश्यक जानकारी से अवगत कराना। बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का संचालन। 	

			स्तर पर बाढ़ जोखिम विश्लेषण। बाढ़ प्रवण पंचायतों की अपनी बाढ़ प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन	
4.	प्राक्षा	<ul style="list-style-type: none"> मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम को स्कूल स्तर पर आयोजन करना। आपदा प्रवण क्षेत्रों में आपदा कैलेण्डर के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से मौसम के पूर्व बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन की तैयारी एवं पूर्व अभ्यास करना। आपदा के परिप्रेक्ष्य में स्कूल/विद्यालय का वार्षिक सुरक्षा आडिट करना तथा आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए उस हेतु संवेदनीय लीलता सूची तैयार करने के साथ-साथ मानचित्र तैयार करना। “स्कूल आपदा प्रबंधन योजना” निर्माण करना तथा समय-समय पर अद्तनीकरण हेतु स्कूल मैनेजमेण्ट कमेटी को प्रोत्साहित करना। क्षेत्रीय आपदाओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं का निर्माण। आपदा के दौरान मिली सीख को भविष्य की योजना में समाहित करना। नये विकास कार्यक्रमों को भी डी.आर.आर. से जोड़ना। <p>बाढ़ प्रवण पंचायतों में:</p> <ul style="list-style-type: none"> बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि. तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का निर्माण बाढ़ ग्रस्त जमीन पर नहीं कराना। 	<ul style="list-style-type: none"> मनरेगा योजना से जुड़ाव कर बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र से पहले से बने विद्यालयों को ऊँचा करना। उक्त का प्राविधानमनरेगा योजना से जुड़ाव स्थापित कर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय तक जाने वाले पहुंच मार्गों को ऊँचा व पक्का करना। प्रशासन के सहयोग से कुछ छात्रों/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर स्वयं सेवक के रूप में आपदा के समय काम करने वाली टीम के रूप में गठन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि दूर संचार के समस्त माध्यम सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं और आगे भी कार्य करने की स्थिति में हैं। बाढ़/जल-जमाव वाले क्षेत्र में स्कूल भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त धनरार्थी का आवंटन सुनिश्चित करना। रिलीफ व रेस्क्यू टीम की मदद करना। रिकवरी योजनाओं को लागू करने में सहयोग करना। क्षति आकलन व रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करने में सहयोग करना। जिला में जल्द से जल्द सामान्य शिक्षा की बहाली सुनिश्चित करना। बच्चों/शिक्षकों को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक मदद सुनिश्चित कराना। बाढ़ आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों व पहुंच मार्गों का बाढ़रोधी तकनीक से मरम्मत/पुनर्निर्माण कराना। सभी स्कूलों द्वारा अपने पाठ्यक्रमों में बाढ़ आपदा एवं उससे बचाव सम्बन्धी जानकारियां शामिल करना। बाढ़ प्रवण पंचायतों में : <ul style="list-style-type: none"> सुरक्षित तैराकी प्राक्षण की व्यवस्था करना तथा इस हेतु विद्यालयों में तैराक सह प्राक्षक तैयार करना। विद्यालयों में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। बाढ़ से बचाव एवं बाढ़ जनित बीमारियों से बचाव हेतु 	
			स्तर पर बाढ़ जोखिम विश्लेषण। बाढ़ प्रवण पंचायतों की अपनी बाढ़ प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन	
4.	प्राक्षा	<ul style="list-style-type: none"> मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम को स्कूल स्तर पर आयोजन करना। आपदा प्रवण क्षेत्रों में आपदा कैलेण्डर के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से मौसम के पूर्व बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन की तैयारी एवं पूर्व अभ्यास करना। आपदा के परिप्रेक्ष्य में स्कूल/विद्यालय का वार्षिक सुरक्षा आडिट करना तथा आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए उस हेतु संवेदनीय लीलता सूची तैयार करने के साथ-साथ मानचित्र तैयार करना। “स्कूल आपदा प्रबंधन योजना” निर्माण करना तथा समय-समय पर अद्तनीकरण हेतु स्कूल मैनेजमेण्ट कमेटी को प्रोत्साहित करना। क्षेत्रीय आपदाओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं का निर्माण। आपदा के दौरान मिली सीख को भविष्य की योजना में समाहित करना। नये विकास कार्यक्रमों को भी डी.आर.आर. से जोड़ना। <p>बाढ़ प्रवण पंचायतों में:</p> <ul style="list-style-type: none"> बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि. तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का निर्माण बाढ़ ग्रस्त जमीन पर नहीं कराना। 	<ul style="list-style-type: none"> जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक स्तर के विशेषकर प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों की सूची तैयार करना तथा मानचित्र पर उनकी अवस्थिति दर्शाना। सभी स्कूलों में स्कूल आपदा प्रबंधन योजना एवं स्कूल आपदा प्रबंधन कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से करना। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्कूल में स्थित जलझोतों (चापाकल या टोटी) का ऊँचीकरण तथा जल संक्रमण हेतु प्रावधान सुनिश्चित करना। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में लाइफसेविंग जैकेट तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, विद्यालय के संसाधनों, वहा के स्टाफ व उनके सम्पर्क नं० की सूची को पहले से ही तैयार करना ताकि आपदा के समय उनसे सम्पर्क करने में परेशानी न हो। बाढ़ प्रभावित घरों के बच्चों के लिए पुस्तक एवं पो”ाक की पुनः व्यवस्था सुनिश्चित करना। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ कैलेण्डर के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से मौसम के पूर्व बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन की तैयारी एवं पूर्व अभ्यास करना। बाढ़ प्रवण पंचायतों में राहत प्राविर स्थापित करने हेतु स्कूल भवनों को चिह्नित कर रखना तथा इन प्राविरों में शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन। विद्यालय में आपदा से संबंधित विभिन्न प्रकार के दलों का गठन करना, जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण-स्थल निगरानी दल, बाढ़ प्रत्युत्तर दल तथा इनके नियमित प्राक्षण आदि की व्यवस्था करना। 	

			<p>छात्र-छात्राओं को जानकारी देना।</p> <p>► जन-जागरूकता द्वारा नियोगिता के पानी के प्रयोग से बचना, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास नहीं जाने देना, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना तथा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी उपर्युक्त रोकथाम गतिविधियों के अनुपालन पर बल देना।</p>	
5	ग्रामीण अभियंत्रण संगठन		<p>सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में बाढ़ आपदा प्रबंधन को समेकित ढंग से शामिल करना।</p>	<p>बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी</p>
6	सड़क निर्माण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> आपदाओं विषयकर मानसून से पूर्व क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना सुनिश्चित करना। आवागमन व्यवस्था जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना। मुख्य सड़क में बने दरार (Breaches) एवं सड़क के गड्ढे की भराई सुनिश्चित करना। सड़कों पर दुर्घटना बाहुल्य (Black spot) क्षेत्रों का चिन्हिकरण करना एवं सचेतक बोर्ड स्थापित करना। क्षतिग्रस्त सड़कों की त्वरित स्थानीय संसाधनों के माध्यम से मरम्मत सुनिश्चित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के लिए नियोजन व बजट की व्यवस्था करना। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर आम जनमानस को जीवन रक्षा के सन्दर्भ एवं यातायात के नियम पर जागरूक करना। बाढ़ के दौरान लिंक रोड के क्षति की जानकारी प्राप्त करना तथा अर्ली रिकवरी हेतु योजना के क्रियान्वयन पर कार्रवाई सम्पादन सुनिश्चित करना। बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/प्रस्तावित सड़क पुर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी सड़क बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना। 	<ul style="list-style-type: none"> BSDRNवेबसाइट के अनुसार विभाग में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा आई0आर0डी0एन0 वेबसाइट को अपडेट किया जाना। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सरलता से संचालित करने हेतु विभिन्न सुरक्षित वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना तथा इसका मानचित्र तैयार करना। निजी व्यक्तियों/वेण्डरों के साथ समन्वयन बैठक कर उनके पास उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का मानचित्रण करना। आवश्यक स्थलों पर 'कलवर्ट' का निर्माण कर यातायात चालु करवाना।
7	स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करना। टी.वी., रेडियो, समाचार एवं अन्य प्रचार माध्यमों से जन-समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना। सर्पदंश के प्राथमिक उपचार पर समुदाय में व्यापक जन-जागरूकता का आयोजन। 	<ul style="list-style-type: none"> पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिंगिंग पावडर इत्यादि का वितरण एवं भंडारण। चलन्त चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा उपलब्ध कराना। आपूर्ति की जा रही दवा एवं खाद्य पदार्थ के स्तर एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस के साथ-साथ चिकित्सकों का नियोजन। एन0डी0एम0ए0 द्वारा विकसित की गयी इमरजेंसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट मार्गदर्शिका का अनुपालन करते हुए जिला स्तर पर योजना तैयार करना। ग्राम स्तर पर प्राथमिक उपचार दल का गठन एवं नियमित प्रशिक्षण। 	<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। फर्स्ट एड कीट तैयार रखना। बाढ़ प्रवण इलाकों में सुरक्षित खानपान तथा स्वच्छता के संबंध में स्थानीय नर्सों तथा आशा कार्यकर्ता के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना। पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिंगिंग पावडर इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण। विभिन्न बीमारियों से जुड़े टीके लगाने की पूर्व तैयारी रखना। आशा कार्यकर्ता/ए.एन.एम. का प्रशिक्षण ताकि, राहत शिविर में संभावित प्रसव कार्य सुरक्षित एवं सुगम हो।

8	खाद्य एवं आपूर्ति	सभी गोदामों में अनाज हेतु एस०एफ०सी० द्वारा आव"यक व्यवस्था किया जाना।	<ul style="list-style-type: none"> ● नये गोदामों का निर्माण ऊँचे स्थान पर किया जा रहा है। ● सभी गोदामों में प्रति माह आव"यकतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराना। 	<ul style="list-style-type: none"> ● नवीन गोदामों, विभाग से संबंधित निर्मित होने वाले भवनों आदि को ऊँचे एवं सुरक्षित स्थानों पर निर्माण हेतु संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करना। ● बाढ़ आपदा की दृष्टि से विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का ऑकलन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार आव"यक मात्रा में अनाज खरीद सुनिश्चित करना। ● यह सुनिश्चित करना कि सभी गोदाम, कार्यालय बाढ़ आपदा से बचाव हेतु ऊँचे स्थानों पर स्थित हों। ● बाढ़ प्रवण पंचायतों में बाढ़ से पूर्व बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भण्डारण कर लेना। ● बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना।
9	पंचायती राज	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायत के विकास कार्यों में आपदा प्रबंधन को समाहित करना। ● सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर सिंचाई के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण। ● समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम आपदा प्रबंधन कमेटी को सक्रिय करना। ● समस्त ग्राम पंचायत ग्राम आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना। 	<ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ आपदा के दौरान समुदाय को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डुब क्षेत्र में पड़ने वाले हैण्डपम्पों को चिह्नित कर सम्बन्धित विभाग के सहयोग से हैण्डपम्पों का ऊँचीकरण करवाना। ● सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आपदा के दौरान उपयोग करने हेतु महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ● बाढ़ को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन योजना बनाना। ● समुदाय को बाढ़ आपदा प्रबंधन की प्रशिक्षण देकर जागरूक करना। 	<ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/प्रस्तावित मकान पूर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी मकान बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना। ● बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में जन-मानस के बचाव हेतु 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौड़ा ऊँचे प्लेटफार्म का निर्माण जहाँ सामुदायिक कीचेन, पानी का संसाधन, शौचालय एवं स्नानघर एवं सामुदायिक कूड़ेदान का प्रावधान सहित।
10	कृषि	<ul style="list-style-type: none"> ● तीव्र वर्षा के कारण होने वाले मृदा अपरदन से बचाव के लिए ऊँचाई के अनुसार जुताई, मेडबन्दी, मेड़ों पर पौधरोपण, पशुचारा में काम आने वाले पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित करना। ● फसल बीमा एवं गृहवाटिका को प्रोत्साहन। 	<ul style="list-style-type: none"> ● नहर प्रणाली से सिंचाई सुनिश्चित करना। ● बाढ़ प्रभावित क्षेत्र/जल बहाव व आंधी तूफान क्षेत्र में जकड़ा एवं गहरी मजबूत मूसला जड़ वाले फसलों व बाग-बागीचों को बढ़ावा देना। ● कम लागत की खेती के लिए विभिन्न विधाओं जैसे समय एवं स्थान प्रबंधन, मिश्रित खेती, बीज संरक्षण, बहुस्तरीय खेती तथा कम्पोसिटिंग आदि तकनीक को बढ़ावा देना। 	<ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ प्रवण पंचायतों के लिए वैकल्पिक कृषि से संबंधित SOP तैयार करना। ● क्षेत्रों में जहाँ जल जमाव की संभावना हो वहाँ जल सह पौधों जैसे धैचा, ईख आदि फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करना। ● अधिकाधिक क्षेत्रों में गरमा फसल उगाने को प्रेरित करना। ● अत्यधिक नमी तथा कम समय में उगने वाले चारे व फसल के बीज का भण्डारण। ● धान की वह प्रजाति जिसके पानी में कमी नहीं होती है, का प्रचार-प्रसार एवं प्रत्यक्षण करना तथा बाढ़ प्रवण खेतों में इसे उगाने पर बल देना।

11	जिला पशुपालन कार्यालय	<ul style="list-style-type: none"> सभी पशुओं को खुरपका व मुंहपका तथा अन्य रोगों से संबंधित टीकाकरण को सुनिश्चित करना। पशु चिकित्सक एवं सहायकों को बाढ़ में होने वाले पशुरोग एवं रोकथाम का प्रशिक्षण देना। पशुधन की बाढ़ से सुरक्षा हेतु लोगों में जागरूकता अभियान चलाना। 	<ul style="list-style-type: none"> पशु बीमा को प्रोत्साहन। बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों के बचाव हेतु 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौड़ा ऊँचे प्लेटफार्म का निर्माण जहाँ चारा भण्डारण, पानी का संसाधन तथा गोबर इकट्ठा करने का प्रावधान सहित। 	<ul style="list-style-type: none"> बाढ़ प्रवण पंचायतों में चारे का पर्याप्त भण्डारण करना। पशुओं के लिए पशु शरण-स्थल चिन्हित करना। मत्स्य पालन क्षेत्र में चारों तरफ से ऊँची जाली लगाकर धेर देना, ताकि मछली के बाहर बह जाने से रोका जा सके।
12	परिवहन		<ul style="list-style-type: none"> नाव परिचालन से संबंधित अधिनियम को सख्ती से लागू कराना। राज्य प्राधिकरण द्वारा नाविकों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान का संचालन करना। 	<ul style="list-style-type: none"> बाढ़ प्रवण पंचायतों में नियोजन हेतु पर्याप्त संख्या में नाव तथा नाविकों का सूचिकरण।
13	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	•	<ul style="list-style-type: none"> शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/ क्लोरीन की टिकिया की आपूर्ति एवं इसके उपयोग विधि की जानकारी लोगों को कराना। प्रभावित क्षेत्रों में काफी संख्या में चापाकलों लगाना तथा मरम्मति के कार्य करना। 	<ul style="list-style-type: none"> शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/ क्लोरीन की टिकिया की आपूर्ति एवं समुचित भण्डारण।
14	एस.डी.आर. एफ./एन.डी.आर.एफ. एवं जिला जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> नागरिक सुरक्षा दल का गठन। बाढ़ प्रवण पंचायतों में गठित प्रत्युत्तर दलों का प्रशिक्षण। मॉकड्रिल का आयोजन करना। बाढ़ प्रवण पंचायतों में समुदाय का प्रशिक्षण।
15	केन्द्रीय जल आयोग/ मौसम विभाग	समय-समय पर मौसम का जानकारी देना		<ul style="list-style-type: none"> बाढ़ पूर्वानुमान की सूचना सार्वजनिक तौर पर संप्रेषित करना।

2. गर्मी-लू/ "शीतलहर/ठनका

क्र०	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<p>(क) गर्मी-लू</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्कूल/कॉलेज तथा सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। • बच्चों के विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिवर्तन करना। गंभीर लू की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। • मनरेगा के कार्य तथा अन्य निर्माण कार्यों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। <p>(ख) शीतलहर</p> <ul style="list-style-type: none"> • बच्चों के विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिवर्तन करना। गंभीर शीतलहर की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। <p>(ग) ठनका –</p> <ul style="list-style-type: none"> • ऊँचे भवनों में तड़ित चालक लगवाना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर आम जनमानस के बीच जागरूकता। • इन्ड्रियज्ञ मोबाइल अप(Mobile App) का उपयोग के बारे में प्रचार-प्रसार करना। 	<p>(क) गर्मी-लू</p> <ul style="list-style-type: none"> • बाजार/रेलवे स्टेशन/बस अड्डा इत्यादि जगहों पर प्याउ की व्यवस्था। <p>निम्नांकित सुझाव का व्यापक प्रचार-प्रसार–</p> <ul style="list-style-type: none"> • यदि बाहर निकलना आवश्यक ही हो तो खाली पेट कभी नहीं निकले। • पानी पी कर एवं सिर को पूरी तरह ढक कर निकले। • गर्म हवा से हमेशा अपने को बचा कर रखें। • पीने का पानी लेकर चले तथा निर्जलीकरण से बचें। • फैसमास्क का प्रयोग जरूर करें। <p>(ख) शीतलहर</p> <ul style="list-style-type: none"> • शरीर को बाहरी स्त्रोतों से गर्म रखना, धूप खिलने पर धूप का सेवन। • सार्वजनिक स्थल पर सोने वाले गृह विहीन लोग तथा रैन बसेरा, टमटम पड़ाव, रिक्शा पड़ाव, मुसाफिरखाना, रेलवे स्टेशन, बस रेटेंड आदि के निकट कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था करना। • खुले आकाश के नीचे रात्रि विश्राम करने वाले गृह विहीन एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों को बिछाने व ओढ़ने के लिए कम्बल उपलब्ध कराना। <p>(ग) ठनका –</p> <ul style="list-style-type: none"> • ठनका की आंशका वाले मौसम में ऊँचे वृक्ष, बिजली का खम्भा, टावर इत्यादि के नीचे शरण लेने से रोकना। • ठनका की संभावना के मद्देनजर मोबाइल अथवा बिजली के उपकरण के प्रयोग से परहेज की सलाह देना। • घर के खिड़की दरवाजे एवं वृक्ष के बीच धातु के तार जोड़ रखने से मना करना। <ul style="list-style-type: none"> • ठनका की आंशका वाले मौसम में नदी/नहर/तालाब से बाहर रहने की सलाह देना। 	<p>(क) गर्मी-लू</p> <ul style="list-style-type: none"> • मौसम पूर्वानुमान की घोषणा का संज्ञान लेना। • पहनने के सूती कपड़ों का यथा संभव उपयोग तथा गर्म एवं ताजा खाना खाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना। <p>(ख) शीतलहर</p> <ul style="list-style-type: none"> • अलाव की व्यवस्था रखना। • जाड़े से बचाव हेतु गर्म कपड़ों की व्यवस्था करना। • शीतलहर के प्रभाव एवं उपायों तथा उपबन्धों की जानकारी से लोगों को अवगत कराना। • मरीजों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना। <p>(ग) ठनका –</p> <p>वज्रपात से बचने हेतु क्या करें और क्या न करें से संबंधित सुझाव प्रचारित करना।</p>

3. अगलगी

क्र०	विभाग / संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> बिहार फायर रॉल्स 2014 का अनुपालन। राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। रोकथाम की कार्रवाई के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करना। 	<ul style="list-style-type: none"> अगलगी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाने, दूरदर्शन एवं रेडियो से जिला स्तर से सुझाव/सलाह का प्रसारण कराना तथा बिहार गृह रक्षावाहिनी का मुख्यालय पटना के पत्रांक 1042 दिनांक 02.03.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना। अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़े एक चेक लिस्ट तैयार करना। इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना। 	<ul style="list-style-type: none"> आपातकालीन संचालन केन्द्र को आधुनिक संचार संसाधनों से युक्त करना। अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़े एक चेक लिस्ट तैयार करना। इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना। अग्नि से जुड़ी तकनीकों एवं बचाव उपायों से संबंधित क्षमता निर्माण- पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तरीय कर्मी, स्वयंसेवकों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का, अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसे गतिविधियों का नियमित आयोजन करना। अग्नि सुरक्षा से जुड़ा चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना।
2	अग्निशमन सेवा		<ul style="list-style-type: none"> बहुमंजली इमारतों एवं कार्यालयों में अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था से युक्त नक्शे के आधार पर हीं निर्माण की अनुमति देना। जिले में महत्वपूर्ण भवनों का अग्निशमन योजना तैयार करना तथा समय-समय पर इसे मॉकस्ट्रिल के माध्यम से प्रौद्योगिकीय करना। अग्निशमन कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करना। लोंगो के लिए अग्नि से बचाव हेतु जन जागरूकता के कार्य करना। 	<ul style="list-style-type: none"> जिला, अनुमंडल एवं थाना स्तर पर स्थापित अग्निशमन केन्द्र के टेलीफोन तथा मोबाईल नं., सार्वजनिक करना। अपने अग्निशमन वाहन को आवश्यक सामग्री से हर दम लैश रखना एवं प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों को हमेशा तैयार रखना। अग्नि प्रवण क्षेत्र के सड़कों का अद्यतन नक्शा रखना, उनसे पूरी तरह परिचित होना तथा उनका नियमित अवलोकन करना। अग्निशमन के आधुनिकतम यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में प्रत्येक 2 कि.मी. पर हाईड्रेन्ट निर्माण संबंधी राज्य सरकार का संकल्प कारगर हो। (पत्रांक 6554 दिनांक 24.12.2015 राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेश क) 	<ul style="list-style-type: none"> प्रति 2 कि.मी. पर एक हाईड्रेन्ट को क्रियाशील रखना। संबंधित राज्यादेश खंड-2 के अनुलग्नक-54 पर संधारित है। पर्याप्त संख्या में बड़े व्यास वाले नलकूप निर्माण की योजना बनाना। 	<ul style="list-style-type: none"> नलकूप में अग्निशमन के लिए बनी गाड़ियों में जल भरने की युक्ति को लगाना।
4	शिक्षा विभाग	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालयों के भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रबन्ध करना। 		<ul style="list-style-type: none"> सभी विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। सामुदायिक जागरूकता के अन्य कार्य करना।

5	भवन निर्माण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन। विभिन्न प्रकार के अस्पतालों, बैंकों, रक्त अधिकोषों तथा संवेदनशील कार्यालयों के भवनों को अग्निरोधी बनाने युक्त नकशे के आधार पर ही निर्माण की अनुमति देना। 	<ul style="list-style-type: none"> अग्निकांडों से सबक लेकर सुरक्षा संबंधी निदेशों में समय-समय पर आवश्यक सुधार करना। भवन निर्माण में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग एवं भंडारण को हतोत्साहित करना।
6	पंचायती राज विभाग	<ul style="list-style-type: none"> आहर पोखर, पईन के पहुँच पथ को चौड़ा करते हुए अतिक्रमण मुक्त करना। अग्नि सह मकान बनाने की तकनीक को अपनी पंचायत की भावी योजना में समाहित करना। अग्नि से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन। 	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण भवनों/झोपड़ियों के निर्माण में अग्निशमन तकनीक के प्रयोग पर ध्यान देना। झोपड़ियों के निचले हिस्से तथा दीपक रखने की जगह पर मिट्टी लेपन करना। गर्मी के महीनों में अग्निकांड से बचाव हेतु खाना बनाने के समय में बदलाव। सार्वजनिक कार्यों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य बातों पर पंचायत द्वारा ग्रामीणों को सचेत करना।
7	नगर निकाय		<ul style="list-style-type: none"> अग्निकांड से बचाव के विभिन्न उपायों को दीवारों पर जन जागरूकता हेतु पेटिंग/पोस्टर आदि बनवाना/लगाना। वैसे भवनों के निर्माण का नक्शा पारित करना जो पर्याप्त या निर्धारित चौड़ाई वाली सड़कों पर हो ताकि अग्निशमन वाहन वहाँ पहुँच सके।
8	स्वास्थ्य विभाग		<ul style="list-style-type: none"> अस्पतालों की सूची, उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का विवरण तथा सभी पहुँच पथ की जानकारी स्थानीय अग्निशमन कार्यालय/थाना को उपलब्ध कराना। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडल तथा सदर अस्पतालों में विशिष्ट सुविधा युक्त “बर्न यूनिट” की स्थापना। एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरुस्त रखना।
9	पशुपालन		<ul style="list-style-type: none"> पालतू पशुओं को अग्निकांड से सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना। अग्निकांड से पीड़ित पशुओं के लिए दवाई आदि का समूचित भंडारण करना।

4. चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि : -

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	विद्युत विभाग	<ul style="list-style-type: none"> विद्युतीय संरचनाओं के समीप के वृक्ष की ठहनी की कटायी-छंटायी करना। विद्युतीय दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति अथवा रोकथाम हेतु सामान्य समय एवं आपदा के समय जनता के सहयोग के लिये जागरूकता अभियान संचालित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> वितरण संयंत्रों की शीघ्रतम मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति को शीघ्रता से चालू करने की योजना, जिससे महत्वपूर्ण संस्थान यथा अस्पताल, स्कूल, टेलिविजन केन्द्र, जल आपूर्ति, दूरसंचार, प्रशासनिक संस्थान इत्यादि कार्यरत रह सके। आवश्यकतानुसार बिजली तड़ित चालक को स्थापित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> समस्त अंचलों के जर्जर एवं झुलते तार को बदलना तथा उनका सुदृढ़ीकरण करना। हाईड्रोलिक वाहन एवं अन्य संसाधन को किसी आकस्मिक हेतु सदैव तैयार रखना। प्रमण्डल स्तरीय/शक्ति उपकेन्द्रों में 24X7कार्यरत नियन्त्रण कक्ष का सतर्कता से संचालन।
2	जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण इलाकों में विशेष तरह के ढाल वाली छतें तथा बौंस वाली संरचनाओं के निर्माण कार्य में विशेष सावधानियाँ बरतने की जरूरत होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> मौसम विभाग से प्राप्त चक्रवाती तूफान/ आँधी/ ओलावृष्टि संबंधी पूर्व सूचना को प्रचारित-प्रसारित तथा सभी हितभागियों को सचेत करना। सार्वजनिक स्थलों पर मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक करते रहना। गाँव के स्तर पर आँधी, तूफान से संबंधित जोखिम का विश्लेषण करना। विश्लेषण में गाँव के स्तर पर संवेदनशील समुदाय तथा हितभागियों को भी शामिल करना एवं सचेत करना। सरकार द्वारा जारी advisory (सलाहकारी) का प्रचार-प्रसार करना। ग्राम स्तर के सरकारी कर्मी, सिविल सोसायटी कर्मी आदि को प्रशिक्षित करना।
3	स्वास्थ्य विभाग			<ul style="list-style-type: none"> प्रभावित इलाके के ट्रॉमा सेंटर सहित सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को तैयार होकर 24 x7रहने का आदेश देना। आस-पास के सभी ब्लड बैंक जॉच केन्द्र को सतत सतर्क रहने हेतु निर्देश देना।

5. सूखाड़

क्र०	विभाग/सभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
१	२	३	४	५
1	कृषि विभाग	<ul style="list-style-type: none"> झीप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देना। सूखारोधी एवं कम सिंचाई वाली फसलों को लगाने को प्रोत्साहन देना। भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु चक डैम, जल छाजन तथा जैविक खाद बनाने हेतु योजना का निरूपण एवं क्रियान्वयन। प्रगतिशील कृषक मंच का गठन कर इसके माध्यम से सूखा अथवा जलवायु परिवर्तन आधारित कृषि(Climate Resilient Agriculture) को प्रोत्साहित किया जाना। 	<ul style="list-style-type: none"> वैकल्पिक खेती हेतु भण्डारित बीज को ससमय कृषकों के बीच पर्याप्त मात्रा में वितरित करना। सूखे की दृष्टि से आकस्मिक फसल योजना का निर्माण। सूखा/कम वर्षा/कम जल आधारित फसल का चयन तथा उनका प्रचार-प्रसार। कीड़ों से बचाव के उपाय करना। चारे से जुड़ी फसलों को लगाने को प्रोत्साहित करना चेक लिस्ट के आधार पर शमनीकरण तथा न्यूनीकरण के उपाय का निर्धारण करना तथा हितधारकों को इससे अवगत कराना। प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान से विकसित तकनीकों का उपयोग खेतों में करना। सूखे की स्थिति में कृषि डीजल अनुदान देना तथा लोन, मालगुजारी, सिंचाई एवं बिजली रकम अदा करने पर तात्कालिक रोक लगाना। 	<ul style="list-style-type: none"> सामान्य से कम वर्षा होने पर सूखे की आशंका बढ़ जाती हैं ऐसे समय में ऐतिहातिक कदम उठाने के लिए समय-समय पर हितधारकों को कृषि कार्य संबंधी दिशा निर्देश देने हेतु चेक लिस्ट विकसित करना। जिला आपदा प्रबंधन योजना में सूखे से जुड़े शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन। उत्कृष्ट जल प्रबंधन हेतु जन जागरूकता के कार्य करना। इसके लिए कैलेण्डर, बुकलेट, पोस्टर, दीवार पेन्टिंग, होर्डिंग, अखबार, रेडियो संदेश, टेलीविजन आदि को माध्यम बनाया जा सकता है। कृषि संयंत्र, खाद, उपचारित बीज आदि का संरक्षण एवं भंडारण। वैकल्पिक पशुचारा उत्पादन योजना का निरूपण करना। सूखा एवं जलवायु परिवर्तन के अनुरूप विभिन्न फसलों के लिए अनुसंधान तथा कृषक प्रशिक्षण।
2	जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		<ul style="list-style-type: none"> सूखा टास्क फोर्स का गठन एवं विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना। मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सभी हितधारकों तक पहुँचाना। फसल क्षति बीमा योजना में शामिल होने हेतु बढ़ावा देना 	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत/प्रखंड स्तर पर प्रभावित किसानों एवं ग्रामीण हितधारकों से सम्पर्क कर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे/होने वाले जोखिम के प्रति सचेत एवं जागरूक कराना। सूखा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन। सूखाड़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रखना।
3	जिला पंचायती राज विभाग/जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> समुदाय द्वारा उपयोग के बाद अवशिष्ट जल के पुनरुपयोग पर बल देना। 	<ul style="list-style-type: none"> सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न रोजगारोंमुख सरकारी योजना गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना। 	<ul style="list-style-type: none"> तालाबों, नहरों आदि की खुदाई/साफ कराना/सुरक्षित रखना। सभी पैक्सों में वर्षा ऋतु के पहले अनाज का भंडारण करके रखना। पर्यावरण सुरक्षा एवं हरियाली हेतु जागरूकता अभियान चलाना।

4	जल संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> जल वितरण नियंत्रण एवं सभी सिंचाई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। जल संसाधन के खुले भण्डारों पर सौर उर्जा संयंत्र लगा कर यथासम्भव जल वाष्पीकरण को रोकना। 	<ul style="list-style-type: none"> सिंचाई नहरों के माध्यम से खेतों तक सुचारू रूप से पानी पहुँचाने के लिए जलवाहा/सिंचाई नाली की मरम्मति एवं निर्माण। जिले के असिंचित खेतों को सिंचित बनाने के लिए सिंचाई योजना का निरूपण। विभिन्न सिंचाई योजनाओं के काम में तेजी लाना। जिले में नहर प्रणाली के अंतर्गत क्षतिग्रस्त/अर्धनिर्मित/अनिर्मित नहरों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा उड़ाही करना। नहरों में सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी होने पर बारी-बारी से सभी खेतों तक आवश्यकता के अनुरूप पानी पहुँचाने की योजना बना कर रखना।
5	लघु जल संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> सूखा से निपटने हेतु अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि उन्नयन योजनाएं चलायी जा रही सरकार ने शताब्दी नलकूप योजना के माध्यम से ज्यादा पटवन करने का इंतजाम किया जाना। 	<ul style="list-style-type: none"> वर्षा जल संरक्षण को खासकर विद्यालय/घरेलू/सार्वजनिक स्थानों पर, प्रोत्साहित करना। झीप/स्रोंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने पर बल/जोर देना।
6	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करना। हर घर नल का जल योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> सूखाग्रस्त इलाके में पानी की खपत पर निगरानी रखना तथा टैंकर से जल आपूर्ति की व्यवस्था करना। जल स्त्रों की नियमित सफाई तथा इसे संक्रमण रहित बनाना। लाईफ लाईन भवनों यथा अस्पतालों/विद्यालयों आदि में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को अबाध्य बनाना।
7	पशुपालन	<ul style="list-style-type: none"> पशुओं का ससमय टीकाकरण सुनिश्चित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> पशुचारा शिविर लगाकर पर्याप्त चारे की आपूर्ति। कृषि अनु"ांगिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु डेयरी, कुकुट पालन, पशुपालन आदि को प्रोत्साहित करना।
8	समाज कल्याण (ICDS)	<ul style="list-style-type: none"> आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ओ.आर.एस. पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> आंगनबाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाले बच्चे, गर्भवती, दुध पिलाती माता आदि के सूची को अद्यतन करना।
9	उर्जा		<ul style="list-style-type: none"> विद्युत की नियमित आपूर्ति बनाए रखना। राजकीय नलकूप के पम्प को ऊर्जान्वित बनाये रखना।
10	ग्रामीण विकास		<ul style="list-style-type: none"> मनरेगा तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित सात निश्चय योजना के तहत रोजगार मुहैया कराना।

11	स्वास्थ्य		<ul style="list-style-type: none"> • सूखे से जुड़ी कुपोषण एवं निर्जलीकरण जैसी बीमारियों की निगरानी करना। • आवश्यकतानुसार ओ.आर.एस. पैकेटों का पर्याप्त मात्रा में वितरण करना। • स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड किट तैयार रखना। • पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण।
12	मौसम विभाग		<ul style="list-style-type: none"> • मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान की ससमय घोषणा करना तथा सम्बन्धित विभागों को इससे अवगत कराना।
13	बैंक		<ul style="list-style-type: none"> • सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना। • विभिन्न ऋण देने वाली एजेन्सियों के द्वारा किसानों को आसान किस्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने का प्रबंधन करना एवं इस आशय की लोगों को जानकारी प्रदान करना।
14	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण		<ul style="list-style-type: none"> • सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत करना, अन्योदय अन्न योजना को प्रोत्साहित करना एवं उचित मूल्य की दूकानों पर निगरानी रखना। • क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति एवं रख रखाव तथा खाद्यान्न का भंडारण करना।

6. भूकम्प

क्र०	विभाग / संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> रोकथाम, न्यूनीकरण तथा प्रत्युत्तर एवं पूर्व तैयारी के संदर्भ में निर्धारित मानकों को ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित योजना में शामिल हो को, सुनिश्चित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> जिला आपदा प्रबंधन योजना में भूकंप से जुड़ी शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण। प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय जोखिम न्यूनीकरण कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण। ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किए जाने वाली योजनाओं में भूकम्परोधी संरचनाओं की तकनीक को शामिल कराने की पहल करना। क्षमताबद्धन के कार्य-पंचायती राज प्रतिनिधियों का, स्वयंसेवकों का, लाईन विभाग के लोगों का आपदा प्रबंधन योजना (ग्राम स्तरीय) में निर्धारित कार्यों का प्रशिक्षण। 	<ul style="list-style-type: none"> संरचनात्मक ढाँचों के निर्माण का विश्लेषण एवं जोखिम का आकलन। विश्लेषण के उपरान्त विभिन्न सहभागी दायित्वों का निर्धारण। भूकम्प से संबंधित ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण कराने की पहल। ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दलों का गठन किए जाने को सुनिश्चित करना। भूकम्प से निपटने की तैयारी के मौक़द़ील का अभ्यास कराना।
2	भवन निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण संहिता-2014 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग के दौरान चिह्नित कमजोर भवनों की रेट्रो फिटिंग। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप के अनुरूप बाढ़, भूकंप, आग, जल संरक्षण तथा चक्रवाती तूफान को ध्यान में रख कर नये भवनों का निर्माण। 	<ul style="list-style-type: none"> पूर्व से निर्मित सभी सरकारी भवनों का, खास कर सभी अस्पताल, स्कूल एवं प्रशासनिक कार्यालय भवनों की भूकंप रोधी क्षमता का आकलन—रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग द्वारा करना। भूकंप रोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रचार—प्रसार एवं जिले में कार्यरत सभी अभियंताओं, राज—मिस्ट्री, शटरिंग—मिस्ट्री तथा बार—बाईंडर का प्रशिक्षण। प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों में अस्थायी आश्रय स्थल की खोज
3	नगर निकाय	<ul style="list-style-type: none"> भवन निर्माण के अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए नक्शा पास करना। जर्जर भवनों को चिह्नित करना तथा इसके आवासीय उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। 	<ul style="list-style-type: none"> भूकंप के दृष्टिकोण से कमजोर भवनों की रेट्रो फिटिंग करना। 	<ul style="list-style-type: none"> निकाय के पास उपलब्ध भारी वाहन — डॉजर, डम्पर तथा क्रेन इत्यादि का समुचित मरम्मति एवं संपोषण कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना। आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्मित सड़कों को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखना।

4	स्वास्थ्य विभाग (सिवील सर्जन एवं उनके अधीनस्थ अस्पताल एवं कार्यालय)	<ul style="list-style-type: none"> भूकंप के दौरान घायल व्यक्तियों की त्वरित समुचित चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु नजदीक के ट्रॉमा सेन्टर, ऑर्थोपेडिक विलनिक, एम.आर.आई., एक्सरे तथा सर्जिकल सेन्टर को चिन्हित करना। अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। अस्पतालों की 'रेट्रो फिटिंग' का कार्य। अस्पतालों में बड़ी तादाद में घायलों के उपचार हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना। 	<ul style="list-style-type: none"> जिला स्तरीय संभावित भूकंप से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना। एम्बुलेंस को पूरी तरह सुसज्जित कर तैयार रखना। प्राथमिक चिकित्सकों/आशा कार्यकर्ता को सक्रिय एवं तैयार रखना। इन अस्पतालों में अनिवार्य जीवन रक्षक दवाओं तथा अन्य सहायक सामग्री का पर्याप्त भण्डारण रहना।
5	अग्निशमन विभाग		<ul style="list-style-type: none"> खोज एवं बचाव हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण। भवनों में अग्नि सुरक्षा का ऑडिट सुनिश्चित करना। <ul style="list-style-type: none"> भूकंप के दौरान घटित अग्निकांडों से निपटने के लिए अग्निशमन संयत्रों एवं वाहनों तथा प्रशिक्षित कार्यबल को सदैव तैयार तथा तत्पर रखना।
6	एन.डी.आर. एफ / एस.डी.आर. एफ/रेड क्रॉस/सिपिल डिफेन्स		<ul style="list-style-type: none"> मॉकड्रिल के माध्यम से जनजागरूकता एवं जन प्रशिक्षण करना। समुदाय क्षमता निर्माण कराना तथा स्वयं भी खोज एवं बचाव के लिए तत्पर एवं तैयार रहना।
7	शिक्षा विभाग	<p>बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि. तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का भूकंप रोधी निर्माण सुनिश्चित करना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालयों में प्रति वर्ष भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। स्कूलों में आपदा प्रबंधन योजना बनाने को सुनिश्चित करना। <ul style="list-style-type: none"> राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल के खेल मैदान को चिन्हित करके रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों की पढाई-लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन। जन-जागरूकता द्वारा निषेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना। प्रत्येक स्कूल में भूकंप के दौरान अपने आपको सुरक्षित करने हेतु समय-समय पर मॉकड्रिल कराना। प्रत्येक स्कूल में भूकंप आपदा प्रत्युत्तर दल जैसे –प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण स्थल निगरानी दल, आपातकालीन अलार्म दल, निकासी दल, खोज एवं बचाव दल, इत्यादि का गठन तथा इनको नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।

7. सड़क / रेल सुरक्षा

क्र०	विभाग / संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य		न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
		१	२	३	४
1	जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	<ul style="list-style-type: none"> ● Blackspot को चिह्नित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना। ● सड़क सुरक्षा के संबंध में जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन में एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं भागीदारी सुनिश्चित करना। ● चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना/संबद्धता प्रदान करना। 		<ul style="list-style-type: none"> ● Blackspot को चिह्नित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना। ● सड़क सुरक्षा के संबंध में जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन में एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं भागीदारी सुनिश्चित करना। ● चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना/संबद्धता प्रदान करना। 	
	परिवहन विभाग	<ul style="list-style-type: none"> ● मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन। ● वाहन चलाने के समय मोबाइल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना। ● परिवहन विभाग, बिहार सरकार, द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2017 को निम्न आशय के निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना— <ul style="list-style-type: none"> ➤ गाड़ियां 80 कि.मी./घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं होगी। ➤ सभी स्कूल बसों में उपयोग होने वाली चार पहिया गाड़ियों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु “गति नियंत्रक” लगाने की बाध्यता होगी। ➤ दुपहिया, तिपहिया, अग्निशमक, पुलिस यान, एम्बूलेंस, आदि को गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता नहीं होगी। ➤ डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन को अधिकतम 60 कि.मी./घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा। ● परिवहन विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 24. 08.2016 को निम्न आदेश के संर्दभ में निर्गत अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना — <ul style="list-style-type: none"> ➤ बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाईन के “रिप्लेक्टीव टेप” (परावर्तक टेप) लगाया जाना है। इसमें ट्रेलर भी सम्मिलित हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> ● वाहनों की नियत समय पर फिटनेस की जाँच तथा चालकों का समय-समय पर स्वास्थ्य एवं दृष्टि दोष की जाँच कर अनुपयुक्त वाहनों एवं अस्वस्थ चालकों को प्रतिबंधित करना। ● सीट बेल्ट/हेलमेट का प्रयोग निश्चित रूप से हो, इसे सुनिश्चित करना। ● सड़क सुरक्षा के संबंध में जन-जागरूकता अभियान चलाना। 	<ul style="list-style-type: none"> ● सरकारी/गैर सरकारी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ इसमें लगाने वाली आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 	

अध्याय 6—क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण

(Capacity Building and Training)

6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं एवं उनसे जुड़े लोगों को भी शामिल किया जायेगा। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे जुड़े पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े पदाधिकारी, अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य लाइन विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 'बिपार्ड' में करवाया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तरों यथा— अनुमंडल, जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन के अवधारणा परिवर्तन के पश्चात् नवजनित आयामों यथा— रोकथाम, न्यूनीकरण, त्वरित रिस्पॉन्स, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु—आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम नीतियों राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्भित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉस में गति आयेगी एवं किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति से बचा जा सकेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहायिता हो।

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना के सहयोग से विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। प्रशिक्षित बिहार प्रशासनिक सेवा, अंचलाधिकारी, बी.डी.ओ. आदि पदाधिकारियों की सूची बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणके वेबसाईट(www.bsdma.org) पर देखा जा सकता है।

6.1.1 विभिन्न स्तरों के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय में कार्यरत लोग एवं सामुदायिक संगठनों को आपदा विषयक मुद्दे पर बिहार या देश के अन्य राज्यों में उनके क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। इनके अलावे नीचे स्तर के कर्मचारी यथा आंगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., किसान सलाहकार इत्यादि भी प्रशिक्षित किये जायेंगे। क्षमतावर्द्धन संस्थागत एवं गैर संस्थागत हो सकते हैं। उपरोक्त के अलावे गैर संस्थागत में जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र में मशीनी एवं यांत्रिक सुविधा बढ़ाकर संचार व्यवस्था तथा आपदा से संबंधित जानकारियाँ हासिल कर सकते रहने में मदद पाया जा सकता है।

6.2 समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित :—

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और पंचायते ही उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण होना है और इसके रिस्पॉन्स हेतु समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण है। चूँकि पंचायत के गाँवों और वार्ड सदस्यों को 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में देखा गया है इसलिए उन्हें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक पंचायत से दस—दस युवाओं को सामुदायिक स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ये प्रशिक्षित हो कर जिले के सभी पंचायतों में प्रशिक्षण का काम अनवरत चलाते रहेंगे। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थायें जो सामुदायिक स्तर पर काम करती हैं। उन्हें भी उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इस संबंध में बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा तैयार, "मुखिया, सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों एवं सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका", भी उपलब्ध कराया गया है।

6.3 पेशेवर विशेषज्ञ

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अबतक राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अभियंताओं को राज मिस्ट्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण किया गया है। साथ ही प्रशिक्षित लोगों में से ही 'मास्टर ट्रेनर' तैयार किये जा रहे हैं ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशिक्षुओं द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता बरतने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त सभी पेशेवर लोगों की सूची विस्तार से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणके वेबसाईट(www.bsdma.org) पर देखी जा सकती है।

भविष्य में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक प्रखंड तथा पंचायत में उपलब्ध हितभागियों को तथा सहयोगी संस्थानों/व्यक्तियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मियों के प्रशिक्षण का विषय निम्नांकित है—

6.4.1 पंचायत स्तर:

पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रस्तावित विषय:

पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम:

क्र०	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) मुख्या (ख) वार्ड सदस्य (ग) सामुदायिक संगठन (घ) स्वयं सहायता समूह (ङ) सेवा निवृत आर्मी परसन, पुलिस कर्मी आदि	<ol style="list-style-type: none"> पंचायतस्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, तूफान, ठनका, नाव दुर्घटना आदि पर विशेष बल। पंचायत की विकास योजना में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए पंचायतस्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पुनर्स्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी।

02	स्कूल शिक्षक, छात्र एवं अन्य	<ol style="list-style-type: none"> शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से स्कूल सुरक्षा (भूकंप, आगजनी) एवं घरेलू आग (गैस चुल्हा, परम्परागत चुल्हा, ढिबरी, लालटेन इत्यादि से जनित) से बचाव। छात्र/छात्रा को नियमित आपदा से बचाव के टिप्प तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण। सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन। (डायरिया, निमोनिया, पेयजल एवं स्वच्छता, सर्पदंश, मस्तिष्कज्वर आदि से बचाव की जानकारी।
03	(क) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका (ख) आशा कार्यकर्ता	<ol style="list-style-type: none"> बच्चों का कुपोषण से बचाव। महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
04	स्थानीय राज मिस्ट्री/ शेटरींग मिस्ट्री/मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण।

6.4.2 प्रखण्ड स्तर: प्रखण्ड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखण्ड तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

क्र0	प्रखण्ड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (ख) अंचल अधिकारी (ग) राजस्व अधिकारी (घ) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (ङ) प्राथमिक सहकारिता साख समिति(पैक्स) (च) कृषि सलाहकार	<ol style="list-style-type: none"> जलवायु परिवर्तन की जानकारी। मौसम विज्ञान की जानकारी। सूखे के आगाज की पहचान। मौसमीय खेती एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। पंचायत स्तर पर वर्षापात आंकड़ा का संकलन। फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी। आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं प्रचार—प्रसार।
02	(क) पंचायत सचिव (ख) विकास मित्र	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत स्तर के विभिन्न आपदीय एवं संसाधन के आंकड़े जुटाना। आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन एटलस का निर्माण। लेखा संधारण।
03	ग्राम कचहरी/न्याय मित्र	गाँव के गरीब तबकों को आपदा से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला विधिक प्राधिकार के साथ सहायता दिलाने संबंधित प्रशिक्षण।
04	स्थानीय राज मिस्ट्री/ शेटरींग मिस्ट्री/मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण।

6.4.3 अनुमंडल स्तर: अनुमंडल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमंडल तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्ड/अंचल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

अनुमंडल स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र०	अनुमंडल स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) अनुमंडल पदाधिकारी (ख) अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारीगण	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत समिति की विकास योजना में प्रखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए प्रखंडस्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। प्रखंडस्तरीय बहु-आपदा खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का मानचित्रण। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पुनर्स्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा अन्य किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। भूम्कप रोधी भवन निर्माण संबंधी मुख्य जानकारी। अनुमंडल में आने वाले प्रखंडों की मजबूती एवं कमजोरियों की पहचान। सभी प्रकार के प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, कम्यूटरीकरण एवं संधारण।
02	(क) अंचल निरीक्षक (ख) कम्प्यूटर ऑपरेटर	नक्शे एवं आंकड़ों की आवश्यकता एवं संवेदनशील जनसंख्या के पहचान के तरीके।
03	प्रखंड प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य	<ol style="list-style-type: none"> प्रखंड प्रमुख एवं समिति सदस्यों को लेकर प्रखंडस्तरीय स्थायी समितियों का गठन एवं इसका दायित्व। पंचायतों के आंकड़ों को प्रखंडस्तर पर समेकित कराना।
04	अभियंता/स्थानीय संवेदक/स्थानीय राज मिस्त्री/शेटरींग मिस्त्री/मेठ	भूकंप रोधी भवन—निर्माण का प्रशिक्षण।

6.4.4 जिला स्तर: जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्यरत सभी लाइन विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

जिला स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम:

क्र०	जिला स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) अपर समाहर्ता (ख) वरीय उप समाहर्ता (ग) सभी लाइन विभाग	<ol style="list-style-type: none"> आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार। इंसिडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम – बहु-आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA) आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय। संचार माध्यम। राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ समन्वय। नाव परिचालन रूल्स, बिल्डिंग बायलॉज, फॉयर सेफटी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में।
02	अभियंता/स्थानीय संवेदक तथा सभी अभियंता लाइन विभाग के/राज मिस्ट्री/ शेटरिंग मिस्ट्री/मेठ एवं जिला स्तरीय संवेदक	भूकंप रोधी भवन-निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग बायलॉज।
नगर निकाय		
03	(क) कार्यपालक पदा。 (ख) सिटी मैनेजर (ग) अभियंता (घ) वार्ड पार्षद	<ol style="list-style-type: none"> बिल्डिंग बायलॉज। नगर योजना। आपदा प्रबंधन। अग्नि सुरक्षा। भीड़ प्रबंधन। अवशिष्ट प्रबंधन। भूकंप रोधी भवन-निर्माण का प्रशिक्षण।
04	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण प्रक्रिया का प्रशिक्षण।

नोट :- प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक स्तर पर तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप बदला जा सकता है।

6.5 जागरूकता


जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को विहित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई.ई.सी. सामग्री, नुककड नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सऐप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, ढूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय-समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाइन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवार्जरी) जारी करेंगे।

अध्याय 7—प्रत्युत्तर योजना (Response Planning)

आपदा की शुरूआत होने पर इससे निबटने के लिए एक प्रभावी प्रत्युत्तर योजना का उपलब्ध रहना अत्यंत हितकारी तथा श्रेयस्कर होगा। इस प्रत्युत्तर योजना में ठोस प्रत्युत्तर के संभावित उपाय, क्रियाविधि, सहायक उपस्करो, प्रशिक्षित कर्मियों तथा समन्वित प्रयासों का, जो वास्तविकता के धरातल पर सफलता प्रदान करने वाले हो, स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्युत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपदा की पूर्व सूचना तथा इसकी तीव्रता तथा विस्तार का अनुमान होते ही आपदा मोचन तंत्र स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करे एवं पूर्व निर्धारित भूमिका अदा करने में सक्षम हो जाय, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। आपदा मोचन योजना में जिले में जिन आपदाओं की आशंका प्रबल हो उन सभी आपदाओं के लिए आपदावार सभी आवश्यक गतिविधियों तथा उनके प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पुनर्वाप्सी के समय का निर्धारण भी किया गया है ताकि कोई चूक न हो जाये।

7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया

आपदा प्रत्युत्तर से सम्बन्धित कार्यों के संचालन की पूर्ण जबावदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी हीं आपदा के नियंत्रण अधिकारी के रूप में कार्यरत होते हैं। घटना/हादसा से जुड़ी कोई भी गतिविधि वगैरे जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की सलामती की सूचना जिलाधिकारी अर्थात् घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी को देकर ही घटना/हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।



अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा किसी वरीय समाहर्ता को हादसा कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हो गयी है तो जिलाधिकारी जिले की गंभीरतम् तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होंगे, जबकि अन्य वरीय समाहर्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

आवश्यकता के

7.1.1 घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्वः

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अन्तर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अन्तर्गत सूचनाओं का आदान-प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरुस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगों के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरतमन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,
- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी को स्थिति का जायजा लेने हेतु, आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,
- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के बहुत समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,
- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई की जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

7.1.2 जिले में हितधारक एवं इनकी कार्ययोजना: हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है—सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

1. **सरकारी लाईन डिपार्टमेंट:** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती हैं। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए हैं।

- समुदाय आधारित समूह:** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जबाबदेह होते हैं जो सीधे जनता के प्रति जबाबदेह होते हैं। चुंकि, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित शहरी निकायों के प्रतिनिधि आपदा की रोकथाम के विभिन्न चरणों में सहयोगी हो सकते हैं।
- स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन:** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेत रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इंटर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं हैं तथा सीधे जिले के सम्पर्क में हैं।

व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते हैं। उनके जीवन की गुणवता, उनकी गरिमाएँ उनका सामाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारकों का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते हैं, अतः वे इनके सम्पर्क में होते हैं। इनसे आपदा न्यूनीकरण के साथ-साथ आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्स्थापन का प्रयास करती हैं। अतः उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते हैं, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते हैं। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते हैं।

हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी कार्ययोजना बनाएँ तथा इससे समुदाय हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होनी चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नये हितधारक जिले में आते रहते हैं।

7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य

उपरोक्त कथन के आलोक में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते हैं :—

- पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगों को अवगत कराया जायेगा।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
- आपात्कालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना स्वयं से प्रयास कर आपात्कालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।
- यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।

- यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी.डी.एम.सी.), आपात्कालीन समर्थक कार्य (इ.एस.एफ.) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपात्कालीन परिचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।
- आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमांड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।
- प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपात्कालीन परिचालन केन्द्र (ई.ओ.सी.), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपात्कालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।
- सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा। Slow Onset में आपदा की शुरुआत (यथा सूखा, कीट संक्रमण, रोग महामारी आदि) धीमी गति से होता है परंतु उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। Fast Onset में आपदा (यथा फ्लैश फ्लड, भूकंप आदि) का आगमन अचानक होता है और उसमें तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अंतर्गत –
 - आपात्कालीन संचालन केन्द्र, राहत दल को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के राहत दल को तुरंत ही सक्रिय करना साथ ही ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।
 - आपात्कालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
 - आपात्कालीन संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
 - सूचनाओं का प्रवाह नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
 - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपात्कालीन संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।
- आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरातः
 - प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपात्कालीन संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
 - यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :– जिला के वरीय उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, आपात्कालीन संचालन केन्द्र, आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।
 - इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेंगे ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।
 - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर की एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामग्रियाँ प्राप्त की जायेंगी जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्ति की जायेगी।
 - सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेन्सियां उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौंपेंगी।

● प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :

- इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर ज़रूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियों को दूर किया जा सके।
- कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
- हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड पदाधिकारी आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
- प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
- अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक

सामान्यतः सभी आपदाओं के प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक निम्नांकित होंगे :—

1. संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली(Communication & Early Warning System)।
2. कार्यों का निदेशन तथा समन्वय(Operational Direction and Co-ordination)।
3. खोज, बचाव, राहत कार्य(Search, Rescue & Relief operation)।
4. चिकित्सीय प्रत्युत्तर(Medical Response)।
5. शव तथा मलवा का निपटान(Disposal of Dead Bodies & Debris)।
6. क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई(Assessing & Compensating Damages and Losses)।
7. रसद व्यवस्था(Logistic Arrangement)।
8. राहत शिविरों का संचालन(Relief Camp Operations)।
9. सहयोग एवं दान प्रबंधन(Donation Management)।
10. मिडिया एवं सूचना प्रसारण(Media & Information Dessemination)।

आपदाओं के दौरान प्रत्युत्तर कार्य के उपरोक्त सभी प्रमुख घटकों का उद्देश्य, उसके अंतर्गत आने वाली गतिविधि संचालन का दायित्व तथा उसको प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पूरा करने में व्यतीत होने वाले समय की विवेचना नीचे की सारणी में विस्तार से दर्शाया गया है।

7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली(Communication & Early Warning System) :-

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> ➤ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ➤ जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र / राज्य आपातकालीन केन्द्र ➤ जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग। ➤ दूरसंचार निगम, ➤ आकाशवाणी, ➤ दूरदर्शन, ➤ पुलिस वायरलेस, ➤ हैम रेडियो, ➤ एच.एफ. / भी.एच.एफ. ➤ मोबाइल सेवा प्रदाता / दूरभाष 	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, चक्रवात, भीड़— भगदड़, औंधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना। ➤ संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन। ➤ अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय। ➤ मौसम विभाग से संपर्क। 	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)।
	बाढ़	<ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुँचाना। ● तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना। ● क्षतिग्रस्त संपर्क पथों को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य। ● बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एंव दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन। ● वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है। 	
<ul style="list-style-type: none"> ● अग्निशमन सेवा ● पुलिस ● पंचायत 	अग्नि	अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल कराना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु प्रयत्न करना।	
आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग	सूखा	मानसून तथा मौसम संबंधी जानकारी।	

7.3.2 कार्यों का निदेशन तथा समन्वय(Operational Direction and Co-ordination) :—

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन, चक्रवात, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	<ul style="list-style-type: none"> आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7कार्य करने वाले)। जिला आपात्कालीन सेवा कार्य तथा आपात्कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/ नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षोपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना। आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया को सक्रिय करना। नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना। 	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक।
अंचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी।	बाढ़	<ul style="list-style-type: none"> हवाई सर्वेक्षण, फुड पैकेट गिराना, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु एयरफोर्स का हवाई जहाज/ हेलीकॉप्टर की माँग। हेलीकॉप्टर से फुड पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाने की कार्रवाई का समन्वय एवं अनुश्रवण। बाढ़ आपदा के संबंध में मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई। राहत एवं बचाव कार्यों का जिला/प्रखंड/नगर/पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी। बाढ़ की गंभीरता का आकलन। बाढ़ क्षति का प्रारंभिक आकलन। राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। सेना की माँग। 	
● जिलाधिकारी के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग। ● जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा। ● राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति।	भूकंप	<ul style="list-style-type: none"> भूकंप की गंभीरता का आकलन। भूकंप क्षति का प्रारंभिक आकलन। राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। सेना की माँग। 	
● जिलाधिकारी। ● पुलिस।	अग्नि	<ul style="list-style-type: none"> भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर सहाय्य कार्य को निदेशित करना। कंट्रोल रूम को चालू रखना। अग्नि स्थल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ को दूर रखना। डिवाइडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को निर्बाध (unhindered)जारी रखना तथा दूसरे हिस्से से ऐम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना। 	
● जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला टास्क फोर्स/जिला कृषि कार्यालय ● आपदा प्रबंधन विभाग	सूखा	<ul style="list-style-type: none"> अनुश्रवण। सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र। 	

7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation):-

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> जिला प्रशासन, अंचलाधिकारी, अग्निशमन दल, नागरिक सुरक्षा समिति, पुलिस, होमगार्ड राज्य आपदा मोचन दल, राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वयंसेवी संगठन 	भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबान, नाव दुर्घटना, भीड़—भगदड़	<ul style="list-style-type: none"> खोज एवं निष्क्रमण करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल की आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना। खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना। सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना। जिनका निष्क्रमण संभव न हो उनकी जीवन रक्षा के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना। अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। राहत शिविरों में रहने खाने, पीने का पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव—नाविकों को नियोजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाइट) बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरों तक स्थानान्तरण। राहत केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पॉलीथीन शीट का वितरण। राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध। तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण। 	आपदा घटित होने के तुरंत बाद से आपदा की समाप्ति तक।
<ul style="list-style-type: none"> अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) एस.डी.ओ./ अंचलाधिकारी फायर ब्रिगेड 	अग्नि	<ul style="list-style-type: none"> राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना। मृतक एवं घायलों को अनुदान प्रदान करना। अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य। सहायता केन्द्र स्थापित करना। क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना। अग्नि”मन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना। 	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
<ul style="list-style-type: none"> कृषि विभाग आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग सहकारिता विभाग वित्त विभाग / कृषि विभाग सहकारिता विभाग पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग समाज कल्याण विभाग शिक्षा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ग्रामीण विकास विभाग आपदा प्रबंधन विभाग 	सूखा	<ul style="list-style-type: none"> आकर्षिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन। फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण। सिचाई हेतु डीजल अनुदान देना। फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण। बैंक ऋणों का पुनर्निधारण। पशु संसाधन की देखभाल सामाजिक सुरक्षा मध्याहन भोजन की व्यवस्था रोजगार सृजन। मुफ्त सहायता। 	

7.3.4 चिकित्सा प्रत्युत्तर(Medical Response):—

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> जिला स्वास्थ्य समिति, रेड क्रास सोसाइटी, निजी नर्सिंग होम, स्वयंसेवी संगठन जिला पशुपालन पदाधिकारी 	भूकंप, बाढ़, अग्नि, सड़क, रेल दुर्घटना, पानी में डुबने, नाव दुर्घटना, भीड़—भगदड़	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा कर्मियों तथा पारामेडिकल कर्मियों को आवश्यक उपकरणों, मोबाईल चिकित्सा वाहन तथा दवा के साथ राहत शिविरों में नियोजन। घायलों, बीमारों की चिकित्सा तथा गंभीर रूप से घायलों को एबुलेस से बड़े अस्पतालों में स्थानान्तरित करना। महामारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता एवं सफाई तथा टीकाकरण की व्यवस्था करना। नजदीकी ब्लड बैंक/ब्लड डोनर से संपर्क कर खून की कमी वाले घायलों की प्राण रक्षा की व्यवस्था करना। 	आपदा घटित होने के तुरंत बाद से आपदा की समाप्ति तक।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं मोबाईल मेडिकल टीम।	बाढ़, भूकंप	<ul style="list-style-type: none"> महिलाओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की देखभाल हेतु आयरन की गोली, सेनेटरी नैपकीन का वितरण, कुआँ/चापाकल में हैलोजन गोली डालने का कार्य, साँप काटने की चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना। जल जनित रोग से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा एवं टीकाकरण। गर्भवती माताओं/धातृ महिलाओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के साथ शरणस्थल/राहत शिविरों में प्रसव होने की स्थिति में जच्चा—बच्चा का स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात शिशु का टीकाकरण, धातृ महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था। 	
सिविल सर्जन	अग्नि	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सक के दल को संदेश देकर तैयार रखना। अस्पताल में शय्या उपलब्ध कराना। 	
<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य विभाग समाज कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग 	सूखा	<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य सेवाएँ। महामारी की रोकथाम। महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल। 	

7.3.5 शव एवं मलवा निपटान(Disposal of Dead Bodies & Debris) :—

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> जिला पुलिस जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी। 	बाढ़, भूकंप	<ul style="list-style-type: none"> शवों का फोटो रखना। मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौंपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान। आपदा के कारण मृत पशुओं के शवों का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान। 	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।
<ul style="list-style-type: none"> नगर निकाय ग्राम पंचायत पुलिस प्रशासन रेड क्रॉस सोसाइटी स्वयंसेवी संगठन जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी 	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल-पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।

7.3.6 क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई(Assessing & Compensating Damages & Losses) :—

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> जिला प्रशासन जिला स्वास्थ्य समिति (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) जिला पुलिस बल भवन निर्माण संभाग पथ निर्माण संभाग जल संसाधन प्रमंडल लघु जल संसाधन प्रमंडल पावर होलिडंग कम्पनी पशु पालन संभाग कृषि विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल 	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	<ul style="list-style-type: none"> आपदा के कारण मृत/घायलों की सूची तैयार करना। क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तथा क्षति का व्योरा संकलन। क्षतिग्रस्त सड़क, पुल-पुलिया, नहर बांध का व्योरा संकलित करना। क्षतिग्रस्त विद्युत संचार संरचना का विवरण संकलित करना। पशुधन क्षति/फसल क्षति का व्योरा एकत्रित करना। तटबंधों में रिसाव व टूट की आकलन एवं मरम्मति। बाढ़ से क्षतिग्रस्त चापाकलों की मरम्मति। कृषि क्षति का आकलन करना। मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा 	स्थिति सामान्य होने तथा विश्लेषण के उपरांत।

		निर्धारित मानदर के अनुसार अनुदान का वितरण।
--	--	--

7.3.7 रसद व्यवस्था(Logistic Arrangement) :-

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> जिला प्रशासन खाद्य एंव आपूर्ति संभाग अंचल / प्रखंड कार्यालय स्वयंसेवी संगठन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल फायर ब्रिगेड सिविल सर्जन 	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना एवं आदि	<ul style="list-style-type: none"> राहत शिविरों में तथा खतरों से धिरे लोगों तक रसद पहुँचाने के लिए प्रर्याप्त मात्रा में रसद-पानी का संग्रहण करना। राहत शिविरों में सामुदायिक रसोई की स्थापना तथा भोजन पकाने एवं वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराना। अग्निमन गाड़ियाँ चालू हालत में रखना। अग्निशमन दल में प्रशिक्षित कर्मी का होना। अग्निकांड स्थल पर एम्बुलेन्स भेजना 	<ul style="list-style-type: none"> सामान्य स्थिति बहाल होने तक। अनिवार्यता का आकलन करने के पश्चात।

7.3.8 राहत कार्य(Relief Work) :-

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन प्रभाग जिला आपदा संचालन केन्द्र गृह / पुलिस आपूर्ति संभाग सहकारिता संभाग रेड क्रॉस सोसाईटी नागरिक सुरक्षा जिला नागरिक परिषद् एन.सी.सी. / स्काउट गाइड स्वयंसेवी संस्थाएँ (प्रशासन से आज्ञा लेकर) 	बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।	<ul style="list-style-type: none"> स्थल पर राहत शिविर लगाना निर्मांकित केन्द्रों का निर्माण— <ul style="list-style-type: none"> राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र सामग्रियों का पैकेजिंग केन्द्र राहत सामग्री पैकेटों का सुरक्षित भंडारण एवं वितरण केन्द्र स्वयंसेवक आवासन केन्द्र राहत सामग्री संकलन केन्द्र पर प्राप्ति रसीद की व्यवस्था कर रखना। राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र में मानक के अनुरूप सामग्रियाँ प्राप्त करना। पैकेट / बंडल की तैयारी कराना तथा इन्हें भंडारित करना। राहत सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई और किसे ये सामग्रियाँ दी गयी, इस बात का दस्तावेज तैयार कर रखना। वितरण एवं अन्य कार्यों में स्वयंसेवकों को लगाना तथा उनकी आधारभूत जरूरतों यथा भोजन एवं सुरक्षाकी व्यवस्था करना। 	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
<ul style="list-style-type: none"> जिलाधिकारी विकास आयुक्त अंचल / प्रखंड कार्यालय 	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना।	<ul style="list-style-type: none"> राहत शिविरों में आपदा प्रभावित लोगों के पहुँचने पर उनका विवरण रजिस्टर में संधारित करना। सहाय्य सामग्रियों का भंडारण पंजीकरण, पैकेट निर्माण तथा वितरण सुव्यस्थित ढंग से करना। 	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।


<ul style="list-style-type: none"> शिक्षा संभाग कल्याण विभाग(आई.सी.डी.एस.) 		<ul style="list-style-type: none"> स्थिति सामान्य होने पर राहत शिविरों में रहे रहे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचने की व्यवस्था करना। महिलाओं, वृद्ध तथा बच्चों को चिह्नित करना। 	
--	--	---	--

7.3.10 मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination) :—


उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय मिडिया—प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक सोशल मिडिया (जिला व्हाट्स एप ग्रुप) एन.सी.सी. / नेहरू युवा केन्द्र / एन.एस. एस. स्वयंसेवी संस्थाएँ 	<ul style="list-style-type: none"> बाढ़, भूकंप, भीषण अग्निकांड, बड़ी सड़क दुर्घटना एवं अन्य 	<ul style="list-style-type: none"> आपदा के दौरान एलर्ट मैसेज भेजना। वरीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित समय में मिडिया ब्रीफिंग करना। मिडिया से सूचना प्राप्त करना। अफवाहों का रेडियो, टेलीविजन, जिला व्हाट्स एप के माध्यम से खंडन संदेश भेजना। मृत, घायल, लापता एवं अन्य की सूची जारी करना। राज्य स्तर के मिडिया का सहयोग प्राप्त करना। टॉलफ्री सूचना केन्द्र को प्रचारित करना। सूचना को प्रचारित करने हेतु एन.सी.सी., नेहरू युवा केन्द्र आदि का सहयोग लेना। 	<ul style="list-style-type: none"> सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

- क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों में हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या, जनहानि, पशुहानि तथा संरचनात्मक ढांचे के साथ फसल, बाग—बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।
- पीड़ितों को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।


7.4आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र



आदेश प्रवाह फ्लो चार्ट एल 2 लेवल डिजास्टर (0 से 6 घंटे)



घटना प्रत्युत्तर फ्लो चार्ट एल 2 लेवल डिजास्टर (6 घंटे के प"चात)



अध्याय 8—पुनर्निर्माण, पुनरस्थापन तथा पुनर्प्राप्ति

(Reconstruction, Rehabilitation and Recovery)

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण एवं रिकवरी एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य आपदा से प्रभावित लोगों के मकान का पुनर्निर्माण, सामुदायिक सुविधा, आधारभूत संरचनाओं की पूर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी को कायम रखने की नीति पर आधारित जीविका समर्थन आदि तैयार किया जाना। विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद सभी प्रकार की रिकवरी के लिए पुनर्निर्माण के साथ-साथ पुनर्वास को अपनाने की आवश्यकता पहले से अधिक होती है। आपदा प्रभावित क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर ‘पूर्व से बेहतर निर्माण’ की कार्रवाई/गतिविधियां अपनायी जायेंगी। आपदा के बाद पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं रिकवरी के निम्न उद्देश्य होंगे—

- भविष्य में आपदाओं को सफलतापूर्वक सामना करने केलिए, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना निर्माण में, सहयोगप्रदान करना
- प्रभावित क्षेत्रों की सार्वजनिक/निजी परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप करना;
- राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार उपयुक्त प्रावैधिकीके माध्यम से प्राकृतिकआपदा से प्रभावित लोगों के घरोंतथा सार्वजनिक भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माणकरना जिसमें भवन निर्माण तथा रेट्रो फिटिंग भी शामिल है।
- आपदा के लिए प्रभावकारी ढंग से प्रत्युत्तर (Response)एवं विकास प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित करपरियोजनाओं का कार्यान्वयन।

आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं। तात्कालिक गतिविधियों में क्षतिग्रस्त ढांचों के सुधार, मरम्मत तथा मजबूती से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल हैं, जबकि दीर्घकालिक निर्माणात्मक गतिविधियों में बहु-खतरा लचीला आवास निर्माण, स्थानान्तरण, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान आदि के साथ ही मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय एवं कृषिगत पुनर्वास सम्मिलित है।

पुनर्निर्माण चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तत्कालीन तथामध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तत्कालीन क्रिया-कलाप में संबंधित दल सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ हीं संबंधित ऐंजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा। इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

पुनरस्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति के अन्तर्गत आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उनके रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसों से उबरने में सफल हो सके।

8.1 क्षति आकलन

आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या—3601 दिनांक— 30.09.2014 के अनुसार “प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच ‘शक्ति की जिम्मेवारी अधीनस्थ सक्षम अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतः-संरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एवं विकास कार्यों से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंडों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आधात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरपाई टिकाऊ विकास कार्यों द्वारा की जानी चाहिये। आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –

- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्तियों का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओं की क्षति
- फसल क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो-सामाजिक संघात
- मनुष्यों, पशुओं एवं कृषिगत फसलों में बीमारी

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	2	3	4
1	मानव क्षति	<ul style="list-style-type: none"> ● मृतकों के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियों को सौंपना। ● अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। ● लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया। 	समुदाय, ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	<ul style="list-style-type: none"> ● घायलों को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। ● घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा। 	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	आपदा के उपरांत सरकारी भवनों में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता करेंगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे।	भवन निर्माण प्रमंडल
4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत / पुनर्निर्माण,	संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	निजी मकानों को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना।	अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी
6	कृषि / पशु संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> ● फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आंकड़ा, रकबा एवं भू-मालिकों के ब्योरा का संकलन। ● पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्यांकन करना। 	जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बीमा कम्पनी, जिला पंजाब उपालन पदाधिकारी, प्रखण्ड पंजाब उपालन पदाधिकारी
7	मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	<ul style="list-style-type: none"> ● चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी। ● आपदा के कारण मानसिक आधात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए। 	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति

8.2 पीड़ितों को राहत

भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय—समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये हैं इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस.डी.आर.एफ. एवं एन.डी.आर.एफ.) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाई करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंडों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाई करना।
- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात(Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि(सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना, नदियों/तालाबों/गड़ों में झूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित दुर्घटना यथा— सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- पत्रांक 1692 दिनांक 22.04.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।

8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन

आधारभूत संरचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क सम्पर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसिंयों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेंगे।

8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण

बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैनिक कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो यथा उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपात्कालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण: अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

जीविका का पुनर्स्थापन: आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनःपूर्ववत् स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने

चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

स्वास्थ्य सेवायें एवं सुविधाओं का पुनर्स्थापन: आपदा के चपेट में आने से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी-कभी इन हादसों के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम-काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो-सामाजिक संघातों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

दीर्घकालिक पुनर्वापसी: बहु-आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यों से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

अध्याय 9—बजट एवं वित्तीय संसाधन

(Budget and Financial Resources)

आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसके वित्तीय पक्ष का सर्वाधिक महत्व होता है, अतः इसको भी ध्यान में रखते हुए समस्त योजना तैयार की जाती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल की गयी गतिविधियों/क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था एक आवश्यक अंग है। आपदा प्रबन्धन योजना हेतु निम्नांकित वित्तीय प्रबन्धों का प्रावधान किया गया है—

9.1 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला सभी स्तरों पर आपदा रिस्पॉन्स फण्ड और आपदा न्यूनीकरण फण्ड उपलब्ध कराता है। अधिनियम की धारा 46 (1) एवं धारा 48 (1) के अनुसार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010 में पत्रांक सं0 323/2010—एनडीएम—1 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फण्ड एवं राज्य आपदा रिस्पॉन्स फण्ड का गठन किया। इसी अधिसूचना के माध्यम से आपदा राहत कोष को राज्य आपदा राहत कोष में बदल दिया गया।

9.2 राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

13 वें वित्तीय आयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का उद्देश्य विशेष रूप से न्यूनीकरण के उपायों के लिए फण्डिंग करना है।

9.3 क्षमता निर्माण कोष

गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा प्रभावी एवं त्वरित ढंग से आपदा प्रत्युत्तर को क्रियान्वित करने के लिए प्रार्थक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, ताकि मानव जीवन एवं सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा के प्रति रिस्पॉन्स करने वाले समुदायों/लोगों के बीच नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संचालित किया जाये। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के मद में प्रत्येक वर्ष कुल राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष का 10 प्रतिशतप्राप्त होता है। जिले की मांग पर इस क्षमता विकास अभ्यास को जिला स्तर पर किया जाता है और इस हेतु आवश्यक कोष राज्य स्तर से निर्गत होता है।

9.4 प्रधानमंत्री राहत कोष

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कोष की धनराशि बैंकों में जमा खातों में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है।

सामान्यतः, धनराशि या तो तत्काल वितरित कर दी जाती है अथवा उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियत कर दिया जाता है। शेषधनराशि को दीर्घावधि तक सुरक्षित रखने के लिए समुचित रूप से उसका निवेश किया जाता है। अधिकतम सुरक्षित धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की राशि का निवेश बैंकों में आवधिक जमा योजनाओं में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के सहयोग से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के पीछे निम्न उद्देश्य हैं—

- पीड़ित एवं उसके परिजनों को तत्काल वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु।
- खोज एवं बचाव में सहयोग करने हेतु।
- पीड़ितों को स्वास्थ्य देख-भाल पहुंचाने हेतु।
- पीड़ितों को शरणालय, भोजन, पेयजल एवं साफ-सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु।
- सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं एवं परिवहन के अस्थाई बहाली हेतु।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल बहाली हेतु।

9.5 मुख्यमंत्री सहायता कोष

मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष स्थापित है। जिसमें विभिन्न माध्यमों से अर्थात् शासकीय, अशासकीय व्यक्ति अथवा संस्था या कार्यालय द्वारा दी गई दान स्वरूप राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाती है। इस कोष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेक के अनुसार बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा या अन्य विपत्तियों से ग्रस्त या औद्योगिक एवं अन्य दुर्घटनाओं के शिकार या उक्त पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त एवं साधनहीन ऐसे लोगों को भी जिन्हें तत्काल सहायता देना आवश्यक प्रतीत होता है, इस कोष से सहायता दी जाती है। यह दान राशि नगद, मनीआर्डर, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी प्राप्त होती है। यह सहायता प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार के लोगों को सीधे अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती है।

9.6 सांसद राहत कोष

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों/संसाधनों को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाने के लिए, खोज, बचाव, पुनर्निर्माण आदि के कामों में स्थानीय सांसद ₹0 10 लाख तक की राशि आपदा प्रबन्धन के कामों में खर्च कर सकता है।

9.7 अधिनियम में प्रावधान :

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के धारा-48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा-48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिसूचनाओं के जारी किये जाने के ठीक पश्चात्, निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"— (ख) जिला आपदा मोचन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा-48(2) में वर्णन है कि उपधारा-(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध हैं।

9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ / कार्यक्रम

विभिन्न प्रकार की आमजन योजनाओं जैसे मनरेगा आदि के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। इन योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से वे आपदा के बाद आसानी से राहत कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत कार्यों के लिए अन्य स्थानों से कोष तक अपनी पहुँच बढ़ा सकते हैं। आपदा से प्रभावितों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक दूसरी प्रभावी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना का 10 प्रतिशत इस उद्देश्य हेतु रेखांकित होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मीड-डे-मिल एक ऐसी ही योजना है। बाढ़ एवं सूखाड़ दोनों परिस्थितियों के भूखमरी से प्रभावित लक्षित वर्ग के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना का प्रावधान है। विशेषकर बंटाईदार किसानों के लिए बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015 से जुड़ाव किया जा सकता है।

9.2 केन्द्रीय / राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम

क्र. सं.	संपोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाल विभाग / संभाग / एजेंसी
1	2	3	4
1	कृषि रोड मैप	इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	मनरेगा	● पंचायत स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते हैं।	ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण एवं वन

		● सामाजिक वानिकी।	
3	सात निश्चय कार्यक्रम	गली—नाली की स्थापना एवं हर घर नल का जल अंतर्गत पाईप से पानी की आपूर्ति।	ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता
4	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।	कृषि विभाग
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	शताब्दी अन्न कलश योजना—2011	निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आपूर्ति)
7	बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	दीनदयाल अंत्योदय योजना – जीविका	महिला सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगों को संबल बनाना।	ग्रामीण विकास विभाग (रुरल लाईवलीहुड मिशन)
9	आंगनवाड़ी	इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण विभाग–आई.सी.डी.एस.
10	लोहिया स्वच्छ बिहार योजना	इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सामूहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार्य सुनिश्चित करने हेतु समुदाय स्तर पर प्रयत्न।	ग्रामीण विकास विभाग
11	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु संरचना निर्माण का स्थापन।	पेयजल एवं स्वच्छता
12	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
13	मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	सर्व शिक्षा अभियान	स्कूल तथा उसमें शौचालय एवं चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
15	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
16	जननी सुरक्षा	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी करना।	जिला स्वास्थ्य समिति
17	मिड-डे-मील योजना	स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना।	मिड-डे-मील जिला कार्यक्रम
18	प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
19	सांसद आदर्श ग्राम योजना	सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र के 3 गाँव को 2019 तक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना तथा 5 गाँवों का 2024 तक विकसित करना।	ग्रामीण विकास विभाग
20	सड़क सुरक्षा निधि	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग।	परिवहन विभाग
21	चौदहवी वित्त आयोग(2015–20)	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	आपदा प्रबंधन विभाग
22	पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायती राज/नगर पालिका
23	राष्ट्रीय खाद्य	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति

9.3अन्य स्त्रोत

इसके अलावा जिला में किसी आपदा के समय प्रभावित समुदाय के सहायता हेतु अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थायें अपनी स्वेच्छा से आती हैं। ये आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अपनी—अपनी सुविधाओं के अनुसार समुदायिक क्षमता विकास एवं डिजास्टर रेजिलिएन्स प्रक्रिया विकसित करने हेतु बहुतायत परियोजनायें संचालित करती हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य प्राइवेट दानदाताओं से राहत से पुनर्स्थापन एवं अन्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से सहयोग ले सकता है।

अध्याय 10—अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

(Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP)

10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन

योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्यवाई की जायेगी

10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराये :—

31(4) – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायेगा।

31(5) – उपधारा(2) और उपधारा(4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।

31(6) – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31(7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये—

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगे और उसे अद्यतन (Update) करेंगे।

10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन:— अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनर्प्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभवतथा क्षति व्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनों तरह के प्रयासों की विवेचना की जानी चाहिये। इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना की प्रभावशीलता को जाँच:—प्रभावशीलता(Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासों (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनर्प्राप्ति या पुनर्स्थापन कार्यों में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुये हैं। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दोहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते हैं या आपदा की विभिन्निका को घटाने की बजाय बढ़ा देते हैं तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना :- जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र-छात्रा तथा शिक्षक-प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियों/स्वयंसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यों में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिणामों में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े उपस्करणों की सूची भी योजना के परिणामों पर संधारित रहनी चाहिये। समय-समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत्त होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते हैं। उपस्करणों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अद्यतन करना जरूरी है।

10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच:- योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करणों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करणों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापूर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृत्ति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है। योजना की सफलता की गारंटी सुनिश्चित करता है।

10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण:-जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

10.1.7 योजना का अद्यतनीकरण(Updation of Plan) :-जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलत तथा प्रयासों की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज(Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमें लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण(Circulation) :-सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।